UPHIN/25/A4962

जनवरी–2026

मूल्य ₹ 30/-

न्यूज ड्रिफ्ट

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

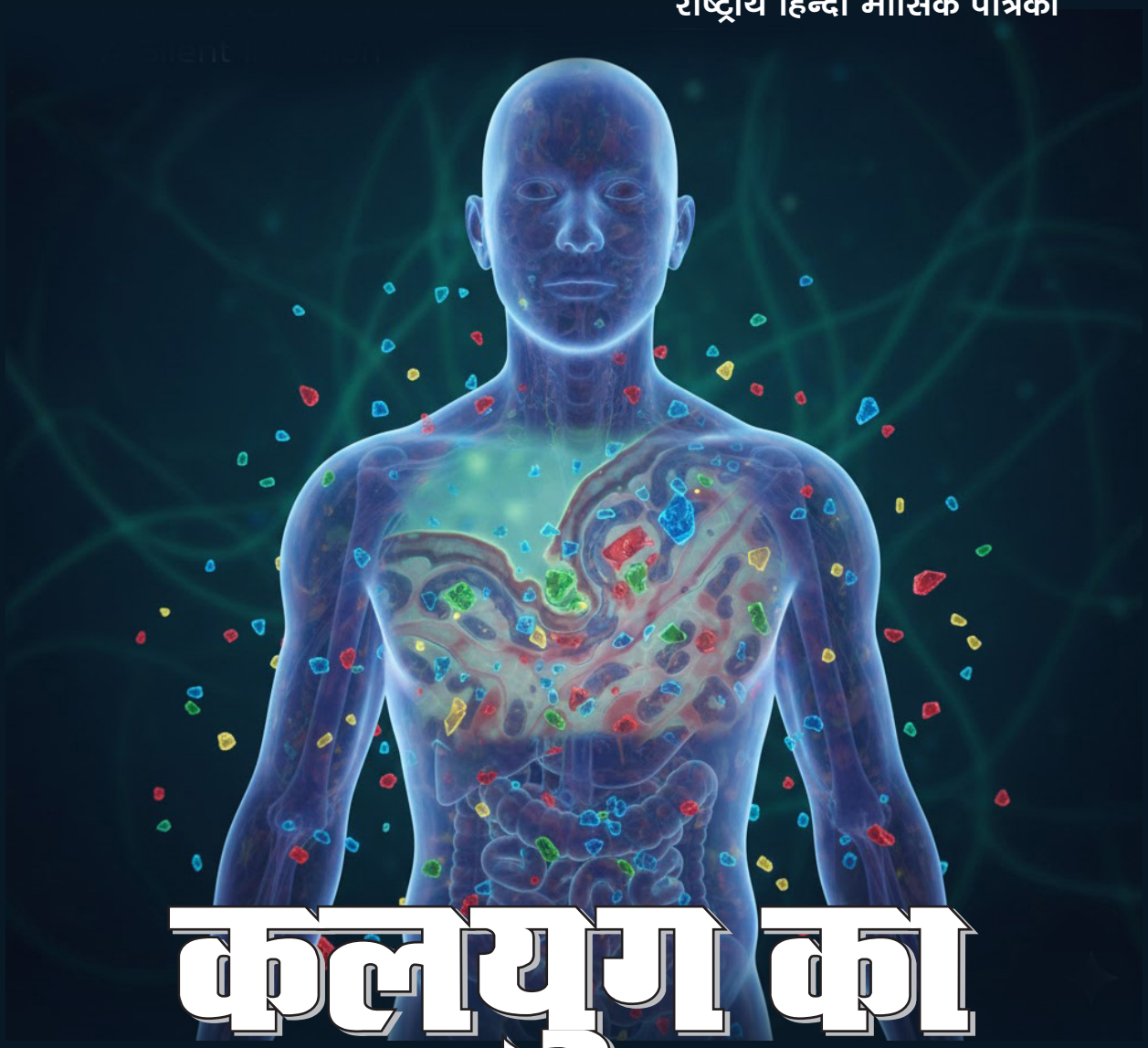

कलयुग का रक्तबीज

न्यूज ड्रिफ्ट

वर्ष–1 अंक–01 जनवरी–2026

संपादक
रवि कान्त

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक
''यह मासिक पत्रिका रवि कान्त द्वारा 537भ /236 भरत नगर, मोहिबुल्लापुर लखनऊ, उत्तरप्रदेश–226021 से रवि कान्त के स्वामित्व में प्रकाशित की जाती है, जिसके संपादक रवि कान्त हैं और , यह नीलम प्रिंटिंग प्रेस, 41/381, नरही लखनऊ उत्तरप्रदेश – 226001 पर नीलम श्रीवास्तव द्वारा मुद्रित की जाती है।''

ग्राफिक्स डिजाइनर
अरूण मिश्र

Mob. 9451760655

Email :-
newsdrift19@gmail.com

Website :-
WWW.NEWSDRIFT.IN

RNI-UPHIN/25/A4962

पत्रिका में प्रकाशित लेख व समाचारों में संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। उसका लेखक ही उत्तरदायी होगा।

समस्त विवादों का न्यायक्षेत्र माननीय न्यायालय लखनऊ होगा।

सपनों की उड़ान बनाम जमींनी हकीकतः इंडिगो के लिए क्यों भारी पड़ा दिसंबर?- 04

मनरेगा का नया अवतारः क्या बदलेगा 'जी राम जी विधेयक'–14

अरावलीः परिभाषा के फेर में प्रकृति –17

पुतिन, मोदी और नई विश्व राजनीति

प्रयागराज कुम्भ 2026 : क्या हैं तैयारियां – 23

वन्दे मातरम के 150 वर्ष – 34

सम्पादक की कलम से ....

न्यूज ड्रिफ्ट: शोर से अलग एक शुरुआत

आज का समय सूचनाओं की बाढ़ का है। हर पल, हर स्क्रीन पर खबरें हैं–तेज, चटख और अक्सर अधूरी। इस शोर में सच कई बार दब जाता है, संदर्भ खो जाता है और समझ पीछे छूट जाती है। ऐसे दौर में न्यूज ड्रिफ्ट की यह शुरुआत उसी खामोशी से जन्म लेती है, जो शोर से अलग होकर सोचने का अवसर देती है।

न्यूज ड्रिफ्ट का उद्देश्य केवल खबर देना नहीं, बल्कि खबर के अर्थ को सामने रखना है। हम मानते हैं कि पत्रकारिता का काम सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि समय रहते चेतावनी देना, सवाल उठाना और नागरिकों को समझ से लैस करना है। यही कारण है कि हमारे प्रवेशांक की कवर स्टोरी माइक्रोप्लास्टिक जैसे अदृश्य लेकिन गहरे संकट पर केंद्रित है, क्योंकि कई सबसे बड़े खतरे वही होते हैं, जो दिखते नहीं, पर भीतर तक असर करते हैं।

यह पत्रिका राजनीति, समाज, पर्यावरण और नागरिक जीवन से जुड़े मुद्दों को तथ्यों, संतुलन और जिम्मेदारी के साथ प्रस्तुत करने का संकल्प लेती है। हम पक्षधरता से अधिक पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं; शोर से अधिक संदर्भ में; और तात्कालिक प्रतिक्रियाओं से अधिक दीर्घकालिक सोच में। न्यूज ड्रिफ्ट उस पत्रकारिता का पक्षधर है, जो डर नहीं फैलातीख़समझ पैदा करती है।

प्रवेशांक के रूप में यह शुरुआत हमारे लिए एक वादा है– पाठकों से भी और स्वयं से भी। यह वादा कि हम आसान रास्ता नहीं चुनेंगे, जटिल सवालों से नहीं बचेंगे और जनहित को प्राथमिकता देंगे। हमें भरोसा है कि पाठक भी ऐसी पत्रकारिता के सहभागी बनेंगे, जो खबर को उपभोग नहीं, संवाद बनाती है।

यह पहला कदम है। आगे की राह लंबी है और चुनौतियाँ भी होंगी। लेकिन यदि पत्रकारिता को फिर से भरोसे, विवेक और संवेदना से जोड़ना है, तो शुरुआत शोर से अलग होकर ही करनी होगी। न्यूज ड्रिफ्ट उसी अलग शुरुआत का नाम है, जहाँ खबरें सिर्फ पढ़ी नहीं जातीं, समझी जाती हैं।

संपादक

रवि कान्त

सपनों की उड़ान बनाम जमीनी हकीकत: इंडिगो के लिए क्यों भारी पड़ा दिसंबर?

भारतीय मध्यवर्ग के लिए हवाई यात्राा कभी ''सपनों की उड़ान'' हुआ करती थी तेज, सस्ती और भरोसेमंद। इसी सपने का सबसे बड़ा प्रतीक बनी इंडिगो एयरलाइंस। कम लागत, समयपालन और व्यापक नेटवर्क के दम पर इंडिगो ने देश के विमानन बाजार में वर्चस्व कायम किया। लेकिन दिसंबर 2025 आते-आते वही इंडिगो एक ऐसे संकट का चेहरा बन गई, जिसने भारतीय विमानन की जमीनी हकीकत को बेनकाब कर दिया। यह संकट केवल एक एयरलाइन की असपफलता नहीं, बल्कि नीति, नियमन और पूंजी-प्रधन मॉडल की सामूहिक विपफलता की कहानी है।

दिसंबर का 'ग्रेट मेल्टडाउन': आंकड़ों की जुबानी

दिसंबर के शुरुआती 10 दिनों में इंडिगो का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा:

- **उड़ानों का संकट:** 1 से 9 दिसंबर के बीच इंडिगो ने लगभग 4,354 उड़ानें रद्द कीं। अकेले 5 दिसंबर को दिल्ली एयरपोर्ट से रात तक की सभी घरेलू उड़ानें रद्द करनी पड़ीं।
- **यात्रियों की परेशानी:** इस संकट से करीब 6.5 लाख से अधिक यात्री प्रभावित हुए। कई छात्र जो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं (जैसे एस्टोनिया में रोबोटिक्स चैंपियनशिप) के लिए जा रहे थे, उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट्स छूट गईं।

- **शेयर बाजार में गिरावट:** परिचालन संकट की खबर फैलते ही इंडिगो की पैरेंट कंपनी 'इंटरग्लोब एविएशन' के शेयरों में 7% से अधिक की भारी गिरावट दर्ज की गई।

संकट की असली वजह: नए 'पायलट रेस्ट रूल्स' (FDTL)

इस पूरे संकट की जड़ में डीजीसीए (DGCA) द्वारा लागू किए गए नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) नियम थे, जो नवंबर 2024 से प्रभावी हुए और दिसंबर 2025 के पीक सीजन में भारी पड़ गए:

- **नए नियम:** नए नियमों के तहत पायलटों को अधिक आराम और रात की उड़ानों के लिए सख्त सीमाएं तय की गई थीं। पहले पायलट 7 दिन काम के बाद 48 घंटे लगातार रेस्ट लेते थे और वीकली ऑफ अलग से होता था. अब चैंम 2 में ूममासल तमेज और कनजल तमेज दोनों को अलग-अलग अनिवार्य कर दिया गया है. इसका असर यह हुआ कि पायलट हफ्ते में कम घंटे उपलब्ध रहते हैं और एयरलाइंस को ज्यादा क्रू चाहिए होता है।
- **नाइट ड्यूटी का टाइम और लंबा हो गया:** पहले रात 12 से सुबह 5 बजे तक का समय नाइट ड्यूटी माना जाता था। अब इसे बढ़ाकर सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। इसका मतलब पायलट तेजी से अपनी ड्यूटी लिमिट पूरी कर लेते हैं और रात के स्लॉट में काम करना मुश्किल हो गया है। इंडिगो की अधिकतर उड़ानें रात में चलती हैं, इसलिए इसका सीधा असर उसके शेड्यूल पर पड़ा है।
- **नाइट लैंडिंग की लिमिट घट गई:** पहले पायलट रात में 6 लैंडिंग कर सकते थे. अब चैंम 2 में उन्हें सिर्फ 2 नाइट लैंडिंग की अनुमति है। इससे नाइट ऑपरेशन और सख्त हो गया है। लगातार नाइट शिफ्ट पर भी रोक लगा दी गई है और पायलट दो रात से ज्यादा नाइट शिफ्ट नहीं कर सकते।
- **लंबी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के बाद ज्यादा रेस्ट'** US और Canada जैसी लंबी उड़ानों के बाद कम से कम 24 घंटे का अनिवार्य आराम रखा गया है। इसका असर लॉन्ग रूट ऑपरेट करने वाली एयरलाइंस पर पड़ेगा क्योंकि एक पायलट को दो राउंड ट्रिप के बीच में ज्यादा समय जमीन पर बिताना पड़ेगा।
- **गलत आकलन:** इंडिगो ने इन नियमों के अनुसार अतिरिक्त पायलटों की भर्ती और रोस्टर प्रबंधन में देरी की। नतीजा यह हुआ कि पीक हॉलिडे सीजन और शादियों के समय जब मांग चरम पर थी, इंडिगो के पास उड़ानों को संचालित करने के लिए पर्याप्त 'क्रू' नहीं बचा।

भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस को चेतावनी दी है कि उसने ''चल रही गड़बड़ी के दौरान कुछ एयरलाइंस द्वारा वसूले जा रहे असामान्य रूप से ऊंचे हवाई किराए का गंभीर संज्ञान लिया है'' और बदले में 'सभी प्रभावित रूट्स पर उचित और वाजिब किराए सुनिश्चित करने के लिए अपनी रेगुलेटरी शक्तियों का इस्तेमाल किया है।'

'प्रैट एंड व्हिटनी' इंजनों की पुरानी समस्या

- इतिहास ने एक बार फिर इंडिगो का पीछा किया।
- इंडिगो के लगभग 75-80 विमान इंजन की खराबी (Pratt - Whitney GTF issues) के कारण जमीन पर खड़े (Ground Elements) रहे।
- विमानों की कमी और पायलटों की

शॉर्टेज-इन दोनों कारकों ने मिलकर 'परफेक्ट स्टॉर्म' की स्थिति पैदा कर दी।

क्या संकट का असर हवाई किराए पर पड़ा ?

इंडिगो के भारतीय एविएशन मार्केट पर हावी होने के कारण, दूसरी एयरलाइंस ने कई रूट्स पर कीमतें बढ़ा दी हैं, खासकर मेट्रो शहरों नई दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से वापसी की उड़ानों पर। टिकट की कीमतें बढ़ने के बाद एक X यूजर ने पोस्ट किया, ''वह प्राइसिंग नहीं थी। वह मुनाफाखोरी थी। जब सिस्टम फेल हो जाते हैं, तो मार्केट गिद्ध बन जाता है।''

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने कहा है कि 1,000km और 1,500km (620-930 मील) के बीच की उड़ान यात्राओं का किराया 15,000 रुपये ($167) तक सीमित होना चाहिए।

भारत में हवाई किराए पहले मई 2020 में COVID-19 महामारी के दौरान सीमित किए गए थे, जब उपमहाद्वीप में लॉकडाउन लगाया गया था और उड़ान संचालन कम कर दिया गया था। पिछले नवंबर में ग्लोबल ट्रेड एसोसिएशन एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) द्वारा प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार, हालांकि, भारत में 2019 की तुलना में 2024 की पहली छमाही में घरेलू किराए में 43 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

अब तक, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस, जिनकी मार्केट हिस्सेदारी 26 प्रतिशत है, ने स्थिति पर ध्यान दिया है और स्पष्ट किया है कि ''नॉन-स्टॉप घरेलू उड़ानों पर इकोनॉमी क्लास के हवाई किराए को रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम द्वारा लागू किए जाने वाले सामान्य मांग-आपूर्ति तंत्र को रोकने के लिए पहले से ही सीमित कर दिया गया है''।

दोनों एयरलाइंस ने कहा कि वे यात्रियों और उनके सामान को उनके अंतिम गंतव्य तक कुशलता से पहुंचाने में मदद करने के लिए क्षमता बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं।

भारत का एविएशन मार्केट कितना बड़ा?

- भारत इस समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट है. भारत में बढ़ती आय, तेज शहरीकरण और हवाई यात्रा की बढ़ती पसंद ने इस क्षेत्र को मजबूती दी है।
- भारत में 2014 में 74 हवाई अड्डे थे जबकि सितंबर 2025 तक कुल 162 हवाई अड्डे हो गए।
- भारत में हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उड़ान (उड़े देश का हर नागरिक) स्कीम शुरू की थी।
- 21 अक्तूबर 2016 को शुरू हुई इस स्कीम के बारे में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था ''एविएशन कभी गिने-चुने लोगों का क्षेत्र माना जाता था, लेकिन उड़ान के आने से यह सोच बदल गई है। मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में उड़ान भर सके।"

भारत सरकार द्वारा तीन नयी एयरलाइंस को हरी झंडी:

भारत सरकार ने तीन नई एयरलाइंस को हरी झंडी दे दी है। इन नई एयरलाइंस की शुरुआत से सरकार इंडिगो और एयर इंडिया से निर्भरता को कम करना चाहती है। इसी के साथ भारत में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। भारत में एविएशन बाजार खूब तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में नई एयरलाइंस के जुड़ने से लोगों के लिए ज्यादा सीटें और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। वहीं नई एयरलाइंस के आने से एविएशन बाजार में तगड़ा कॉम्पिटीशन भी देखने को मिलेगा। लोगों के पास फ्लाइट चुनते वक्त भी कई ऑप्शन होंगे।

शंख एयर

उत्तर प्रदेश की शंख एयरलाइन की शुरुआत 2026 की शुरुआती तीन महीनों में हो सकती है। अगले तीन साल में ये एयरलाइन अपने बेड़े में 20 से 25 विमान ला सकती है। शंख एयर का उद्देश्य देश में बड़े शहरों और राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है।

"लाई एक्सप्रेस

भारत में फ्लाई एक्सप्रेस की शुरुआत से

व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए कच्चे माल से लेकर तैयार उत्पाद को एक जगह से दूसरी जगह भेजना और भी आसान हो जाएगा। ये एयरलाइन घरेलू एयर-कार्गो की बढ़ती मांग के बीच पैसेंजर उड़ानों के साथ बेहतर विकल्प के रूप में सामने आ सकती है।

अलहिंद एयर

अलहिंद एयर, केरल के अलहिंद ग्रुप की एयरलाइन है, जो कि पहले ट्रैवल और टूरिज्म के लिए भी काम कर चुकी है। इस एयरलाइन का उद्देश्य क्षेत्रीय और लो-कॉस्ट कनेक्टिविटी देना है, जिससे आम व्यक्ति भी फ्लाइट में सफर कर सके।

हवाई चप्पल पहनने वाला यात्री कब तक सुरक्षितः

दिसंबर 2025 में सामने आया इंडिगो संकट केवल कुछ हजार उड़ानों के रद्द होने की घटना नहीं है। यह उस मॉडल की सीमाओं को उजागर करता है जिस पर भारतीय एविएशन सेक्टर पिछले एक दशक से तेजी से आगे बढ़ रहा था- कम लागत, अधिकतम उपयोग और बेहद कम मार्जिन पर आधारित मॉडल। जब तक परिस्थितियाँ सामान्य रहती हैं, यह मॉडल तेज रफ्तार से काम करता है, लेकिन जैसे ही नियामक सख्ती, मानव संसाधन की कमी या तकनीकी बाधा सामने आती है, पूरा सिस्टम लड़खड़ा जाता है।

यह भी स्पष्ट हुआ है कि बाजार में अत्यधिक प्रभुत्व किसी एक एयरलाइन के लिए लाभदायक हो सकता है, लेकिन यात्रियों और पूरे सेक्टर के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। जब सिस्टम फेल होता है, तो प्रतिस्पर्धा की कमी का बोझ सीधे आम यात्रियों पर महंगे किराए और अनिश्चित यात्रा के रूप में पड़ता है। दिसंबर 2025 में किराया वृद्धि और टिकटों की अनुपलब्धता ने यही सच्चाई सामने रखी।

नियामक दृष्टि से देखें तो क्ळब द्वारा लागू किए गए नए पायलट रेस्ट नियम सुरक्षा के लिहाज से आवश्यक और स्वागतयोग्य हैं। लेकिन यह संकट बताता है कि नीति का उद्देश्य और उसकी जमीनी तैयारी- इन दोनों के बीच संतुलन बेहद जरूरी है। नियम अचानक लागू हों और उद्योग उसके लिए तैयार न हो, तो उसका खामियाजा अंततः यात्रियों को ही भुगतना पड़ता है।

सरकार द्वारा नई एयरलाइंस को दी गई मंजूरी उम्मीद जगाती है, लेकिन केवल नई कंपनियों का आना ही समाधान नहीं है। असली चुनौती यह सुनिश्चित करने की है कि भविष्य की एयरलाइंस बेहतर क्रू प्लानिंग, तकनीकी बैक-अप और टिकाऊ बिजनेस मॉडल के साथ आगे बढ़ें, न कि उसी दबाव भरी व्यवस्था की नकल करें जिसने यह संकट पैदा किया।

आखिरकार, भारतीय एविएशन को अब केवल "सस्ती उड़ान" के लक्ष्य से आगे बढ़कर मजबूत, संतुलित और यात्री-केंद्रित सिस्टम बनाने की जरूरत है। अगर 'हवाई चप्पल पहनने वाला यात्री' सच में सुरक्षित, भरोसेमंद और सम्मानजनक यात्रा करता रहना है, तो विमान के साथ-साथ नीति, नियमन और प्रबंधन- तीनों को समान रूप से उड़ान भरनी होगी।

कलयुग का रक्तबीज

यह जहर न दिखाई देता है, न सूँघा जा सकता है, फिर भी वह हमारे पानी, हमारे भोजन और अब हमारे शरीर के भीतर तक पहुँच चुका है। हाल के वर्षों के वैज्ञानिक शोधों ने माइक्रोप्लास्टिक को केवल ''पर्यावरण प्रदूषण'' की श्रेणी से बाहर निकालकर एक उभरते हुए सार्वजनिक-स्वास्थ्य संकट के रूप में चिन्हित किया है।

पौराणिक कथा का रक्तबीज राक्षस- जिसे जितना काटो, जितना उसका रक्त बहाओ, उतने ही नए रक्तबीज पैदा हो जाते थे, आज के दौर में प्लास्टिक के रूप में हमारे सामने खड़ा है। प्लास्टिक को जितना तोड़ा, जितना छोड़ा और जितना अनदेखा किया गया, उतना ही वह माइक्रोप्लास्टिक में बदलकर धरती, जल, वायु और अंततः मानव शरीर में फैलता गया।

सच यह है कि हम चारों ओर से प्लास्टिक से घिरे हैं। धरती धीरे-धीरे प्लास्टिक से पटती जा रही है और आज माइक्रोप्लास्टिक लगभग सर्वव्यापी हो चुका है।

मायक्रोप्लास्टिक क्या है और कैसे बनता है?

माइक्रोप्लास्टिक वे प्लास्टिक कण हैं जिनका आकार लगभग 5 मिलीमीटर से कम होता है। वे दो तरह के होते हैं, प्राथमिक (जो सीधे उत्पादों में होते हैं, जैसे कुछ कॉस्मेटिक्स या सिंथेटिक फाइबर) और द्वितीयक (बड़े प्लास्टिक के टूटने से बनने वाले छोटे-छोटे टुकड़े)।

सिंगल-यूज प्लास्टिक- पतली थैलियाँ, पैकेजिंग, स्ट्रॉ, जब खुले में फेंकी जाती हैं तो सूरज-हवा-घर्षण के प्रभाव से छोटे कणों में टूटकर माइक्रोप्लास्टिक बन जाती हैं, जो नालियों के जरिए नदियों में और फिर खाद्य-श्रृंखला में समा जाती हैं।

मानव शरीर में कैसे प्रवेश करता है माइक्रोप्लास्टिक?

माइक्रोप्लास्टिक विभिन्न मार्गों से मानव शरीर में प्रवेश करते हैं, मुख्य रूप से निगलने और सांस के माध्यम से। दूषित

भोजन और पानी इसके सबसे बड़े स्रोत हैं। प्रदूषित वातावरण के कारण समुद्री भोजन, नमक, बोतलबंद पानी और यहां तक कि कुछ फलों और सब्जियों में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाते हैं। मछली और शंख जैसे समुद्री जीव माइक्रोप्लास्टिक को निगल सकते हैं, जो फिर खाद्य श्रृंखला में मनुष्यों तक पहुंच जाता है।

सांस लेना एक अन्य मार्ग है, जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसमें माइक्रोप्लास्टिक मौजूद होते हैं। ये कण सिंथेटिक कपड़ों, टायरों और अन्य रोजमर्रा के उत्पादों से उत्पन्न हो सकते हैं, जो घर्षण और टूट-फूट के माध्यम से हवा में फैल जाते हैं। घर के अंदर के वातावरण, विशेष रूप से खराब वेंटिलेशन और प्लास्टिक उत्पादों के भारी उपयोग के साथ, वायुजनित माइक्रोप्लास्टिक का स्तर बढ़ सकता है।

एक बार निगलने या सांस लेने के बाद, माइक्रोप्लास्टिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और फेफड़ों में जमा हो सकता है। जबकि मानव स्वास्थ्य पर पूर्ण प्रभाव का अभी भी अध्ययन किया जा रहा है, इससे संबंधित चिंताओं में प्लास्टिक और संबंधित रसायनों से होने वाले विषाक्त प्रभाव शामिल हैं।

अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने पाया कि पॉलीथीन, जो आमतौर पर प्लास्टिक की थैलियों और बोतलों में उपयोग किया जाता है, सबसे आम माइक्रोप्लास्टिक पाया गया, इसके बाद पीवीसी था।

हमारी थाली तकः नमक, दूध और अन्य खाद्य–उत्पाद

भारत में हुए हालिया परीक्षण और छोटे-बड़े अध्ययन (2023-2025) बताते हैं कि खाने-पीने की रोजमर्रा वस्तुओं में माइक्रोप्लास्टिक का पता लगना अब असामान्य नहीं रहा। कुछ रिपोर्टों ने नमक और चीनी में प्लास्टिक कणों की उपस्थिति रिपोर्ट की है; अन्य अध्ययनों में दूध, पाउच-दूध और डेयरी उत्पादों में माइक्रोप्लास्टिक की गिनती दर्ज की गई है, यह संकेत है कि प्लास्टिक खाद्य-श्रृंखला के प्रत्यक्ष भाग बन चुका है।

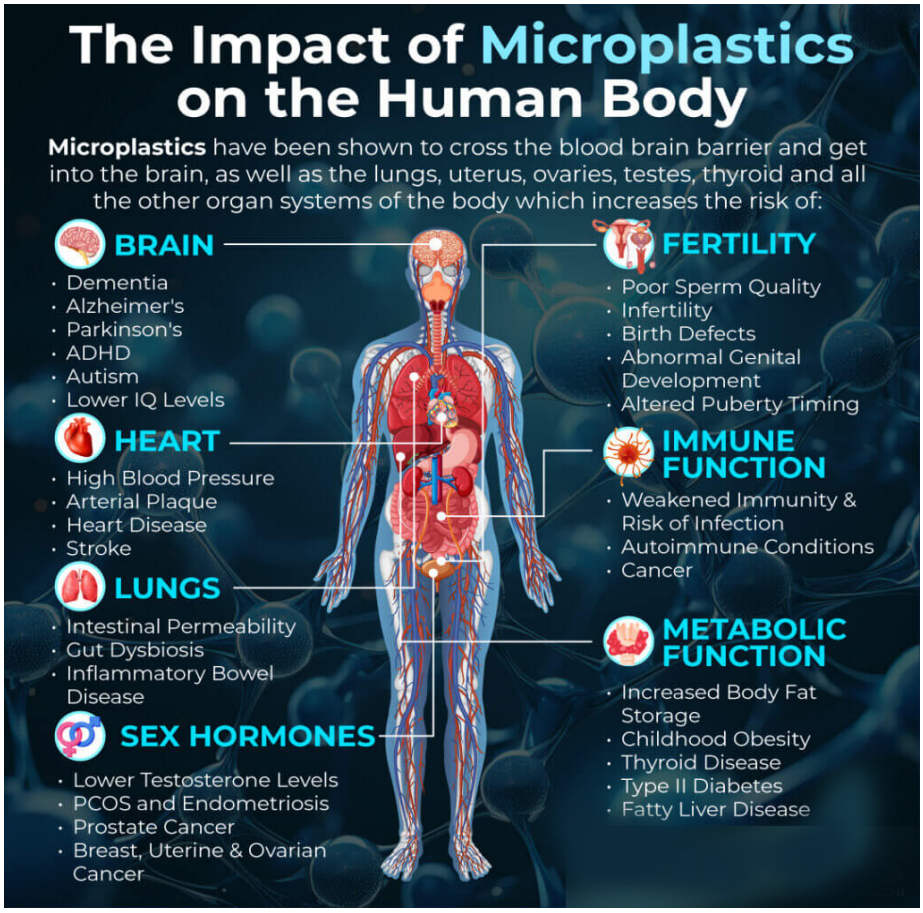

नीतिः कागज पर प्रतिबंध–1 जुलाई 2022 का मोड़

केंद्र सरकार ने 12 अगस्त 2021 के नोटिफिकेशन के तहत 1 जुलाई 2022 से पहचाने गए सिंगल-यूज प्लास्टिक आइटम पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लागू किया। इसका मकसद उन वस्तुओं की बिक्री, वितरण, निर्माण और आयात को रोकना था जिनका उपयोग कम और लिटरिंग-पैटर्न उच्च है।

इसके साथ ही प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम और EPR (Extended Producer Responsibility) जैसी व्यवस्था पर जोर दिया गया, जिससे उद्योगों को पैकेजिंग और कचरा प्रबंधन में जिम्मेदार ठहराया जा सके। पर यहाँ सवाल उठता है, नीति कितनी प्रभावी रही?

नीति बनाम क्रियान्वयनः कागज और सड़क की दूरी

कानून मौजूद है; पर मैदान पर स्थिति मिश्रित है। कई शहरों में थोक-बिक्री, खोखले रैपर, फूड-स्टाल और छोटे दुकानों पर प्रतिबंधित सामग्री अभी भी बिकती मिलती है। कारण कई-स्तरीय हैं:

- **प्रवर्तन की असमानताः** नगर निकायों

के पास संसाधन और मानव-शक्ति सीमित हैं; कुछ जिलों में अभियान प्रभावी रहे, कुछ में नहीं।

- **उद्योग-लॉबी और लॉजिस्टिक्स:** छोटे निर्माता/री-सैलर्स पूरी सूची-बदलाव को तुरंत अपना नहीं पाते; पुराना इन्वेंटरी और सप्लाई-चेन इश्यू रहता है।
- **लोगों की आदतें:** एक-दम से विकल्पों की पहुँच न होने पर उपभोक्ता पुरानी आदतों पर टिके रहते हैं।

समाज पर असर: स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, और असमानता

माइक्रोप्लास्टिक का स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव अभी शोधाधीन है; फिर भी संभावित प्रभावों के संकेत गंभीर हैं- सूजन, ऑक्सीडेटिव तनाव, हार्मोनल प्रभाव और सूक्ष्म-रासायनिक वाले एडिटिव्स का बायो-एक्यूम्यूलेशन। जब स्रोत-रहे-हुए प्रदूषण का बोझ गरीब एवं असुरक्षित समुदायों पर अधिक पड़ता है (क्योंकि वे अधिकतर खुले में रहने, पानी और भोजन के अनिश्चित स्रोतों पर निर्भर होते हैं), तो असमानता की समस्या भी गहराती है।

आर्थिक असर भी दो तरह से होगा: स्वास्थ्य-खर्चों का बढ़ना और स्थानीय अर्थव्यवस्था में पैकेजिंग-निर्भर छोटे व्यवसायों का संक्रमण-लागू खर्च। इसलिए केवल पर्यावरण का मुद्दा आर्थिक व सामाजिक मुद्दा भी बन जाता है।

हाल के शोध–निष्कर्ष से क्यों यह अब प्राथमिक राष्ट्रीय चिंता होनी चाहिए

- **रक्त में माइक्रोप्लास्टिक:** 2024 के अध्ययनों में मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक कण पाए जाने की रिपोर्ट आई, यह दिखाता है कि कण फेफड़े या आहार के रास्ते रक्त-प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं।
- **गर्भनाल/प्लेसेंटा में कण:** कुछ शोधों ने मानव प्लेसेंटा में माइक्रोप्लास्टिक की उपस्थिति का पता लगाया, यह नया और चिंताजनक संकेत है कि भ्रूण किस तरह सीधे प्रभाव में आ सकता है।
- **मानव अंडकोष में माइक्रोप्लास्टिक:** न्यू मैक्सिको विश्वविद्यालय के शोध कर्ताओं द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में मानव अंडकोष में 12 प्रकार के माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं। अध्ययन में कहा गया है कि मनुष्य के अंडकोष के ऊतक में माइक्रोप्लास्टिक की औसत मात्रा

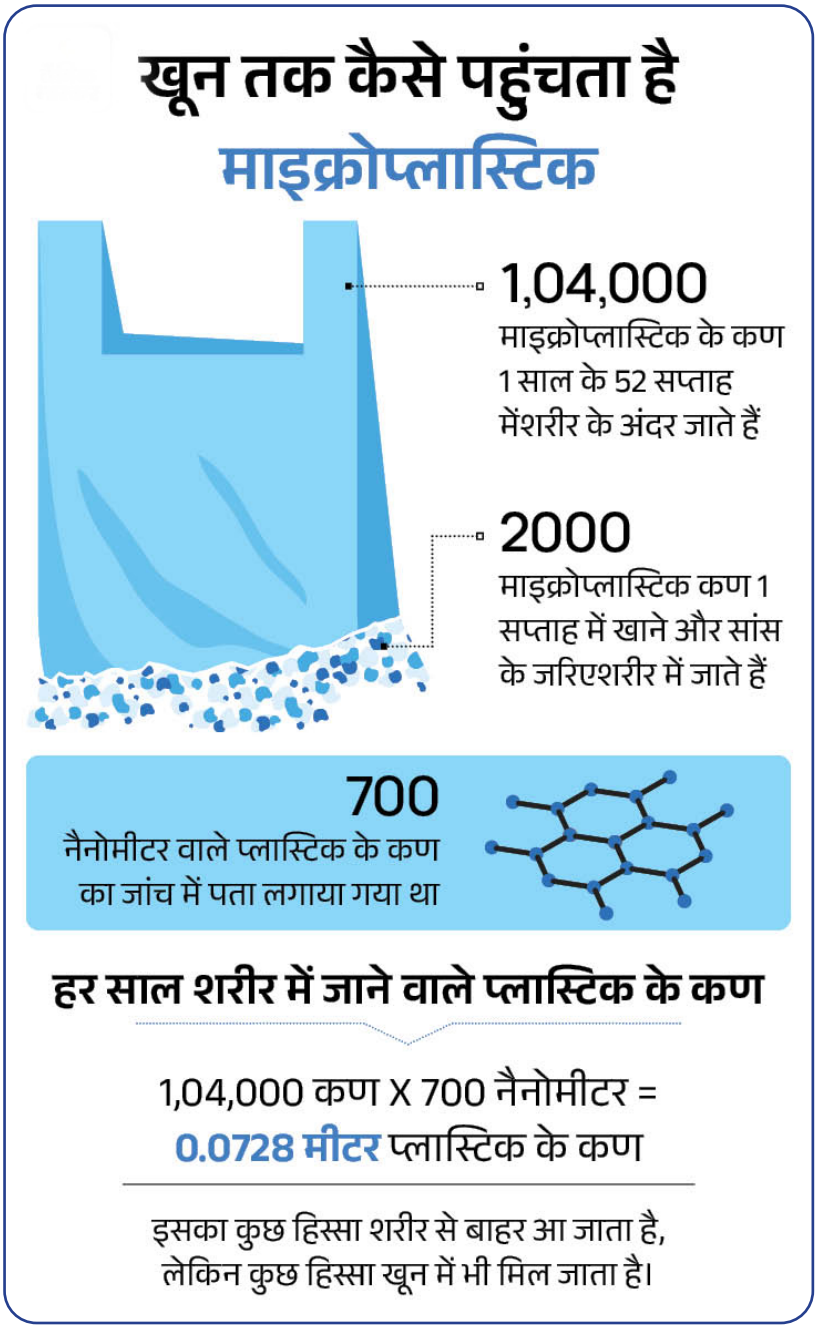

329.44 माइक्रोग्राम प्रति ग्राम पाई गई

- **हृदय में माइक्रोप्लास्टिक:** हृदय की सर्जरी कराने वाले लोगों के एक छोटे अध्ययन में, एसीएस के पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शोधकर्ताओं ने बताया है कि उन्हें हृदय के कई ऊतकों में माइक्रोप्लास्टिक मिले हैं। वे यह भी बताते हैं कि प्रक्रियाओं के दौरान माइक्रोप्लास्टिक अप्रत्याशित रूप से सामने सामने आया है।
- **हड्डियां कमजोर कर रहा माइक्रोप्लास्टिक:** ब्राजील के वैज्ञानिकों ने हाल ही में 62 वैज्ञानिक अध्ययनों की समीक्षा की है। यह रिपोर्ट अंतरराष्ट्रीय जर्नल ऑस्टियोपोरोसिस इंटरनेशनल में प्रकाशित हुई है। इसमें साफ कहा गया है कि माइक्रोप्लास्टिक का हड्डियों पर बुरा असर पड़ता है। हड्डियों की मज्जा (बोन मैरो) में मौजूद स्टेम सेल्स की क्षमता को नुकसान पहुंचाते हैं। यह हड्डियों को तोड़ने वाली कोशिकाओं यानी ऑस्टियोक्लास्ट्स की संख्या बढ़ा देते हैं, जिससे हड्डी का क्षय होता है।
- **बोतलबंद पानी और नैनोप्लास्टिक:** शोध दर्शाते हैं कि बोतलबंद पानी में भी अत्यधिक नैनोप्लास्टिक मौजूद हो सकते हैं, जिनका प्राथमिक स्रोत पैकेजिंग व प्रोसेसिंग प्रक्रियाएँ हैं।
- **खाद्य वस्तुओं में प्लास्टिक:** नमक, चीनी और डेयरी उत्पादों सहित दैनिक उपयोग की वस्तुओं में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने के अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उदाहरण मिल रहे हैं।

रिसर्च में माइक्रोप्लास्टिक से सेल्स पर होने वाले इन 5 प्रभावों को जांचा गया

क्या सरकार और उद्योग कर रहे हैं और क्या और चाहिए

सरकार की नीतियाँ (बैन, PWM नियम, EPR) सही दिशा में हैं। कई स्थानों पर नगर निकायों ने सफाई अभियानों और जागरूकता कार्यक्रम चलाए हैं। पर प्रभाव तभी स्थायी होगा जब तीन चीजें हों:

- **स्थायी प्रवर्तन-मेकैनिज्म:** RTI-आधारित सार्वजनिक निगरानी और नियमित सार्वजनिक-रिपोर्टिंग; चालान /जुर्माने के सार्वजनिक आँकड़े।
- **उपभोक्ता-विकल्पों की पहुँच:** किफायती, स्थानीय और बायो-डिग्रेडेबल विकल्पों की आपूर्ति और छोटे विक्रेताओं के लिए संक्रमण-सहायता।
- **वैज्ञानिक निगरानी और मानक:** पानी-खाद्य-रक्त में माइक्रो/नैनोप्लास्टिक के मापन के लिए राष्ट्रीय मानक और नियमित निगरानी-यह जानने के लिए कि मानव-स्वास्थ्य पर क्या परिणाम हैं।

उद्योगों के लिए EPR का सख्त पालन और पैकेजिंग-कौशल का आधुनिकीकरण अनिवार्य है। साथ ही, बायोग्रेडेबल होने का दावा केवल लेबलिंग नहीं होना चाहिएख़इसे तटस्थ परीक्षणों से प्रमाणित किया जाना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में कानून के उचित कार्यान्वयन का आभाव

उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई, 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक (SUP) पर प्रतिबंधा लागू है, जिसमें ईयरबड, प्लास्टिक स्टिक, प्लेट्स, कप, कटलरी, स्ट्रॉ, और 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक कैरी बैग जैसी कई वस्तुओं पर रोक है और सरकार, प्रशासन, नगर निगम द्वारा इसके उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर सख्ती से निगरानी की जा रही है।

लेकिन जमीनी स्तर पर कानून के कार्यान्वयन का अभाव

स्पष्ट है, कुछ दिन सख्ती और फिर पुराने हिसाब से धाड़लल्ले से सिंगल उसे पॉलीथिन की बिक्री और वो भी पुलिस और प्रशासन के सामने। जब शिकायत होती है तब 2 –4 दिन की शक्ति और फिर वही धाड़ल्ले से खुला इस्तेमाल। इससे कोई परिवर्तन आने नहीं वाला, आवश्यक है की सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण और आवक पूरी सख्ती हो और साथ ही जनता के व्यवहार में परिवर्तन की मुहीम चलाई जाए। क्योंकि बिन जन सहभागिता और बिना सिंगल उसे प्लास्टिक के समुचित और सस्ते विकल्प के इस पर रोक लगभग असंभव सी है।

नागरिक के रूप में हम क्या कर सकते हैं (व्यावहारिक कदम)

- प्लास्टिक-फ्री विकल्प अपनाएँ (कपड़े के बैग, स्टील/काँच की बोतलें)
- बोतलबंद पानी की जगह वाटर-स्टेशन/फिल्टर का प्रयोग बढ़ाएँ
- रीसायक्लिंग और वर्गीकरण घर से शुरू करें – और पड़ोस में साझा-कलेक्शन को प्रोत्साहित करें
- स्थानीय नगर निगम को त्ज्प्/शिकायत के जरिए जवाबदेही के लिये दबाव बनाएँ

पत्रिका की तरफ से हम पाठकों से आग्रह करते हैं जितना संभव हो: प्लास्टिक-फ्री विकल्प अपनाएँ – आज ही। छोटे व्यक्तिक कदम सामूहिक प्रभाव बनाते हैं।

बच्चो को मइक्रोप्लास्टिक से बचाएं

बच्चों का शरीर अभी विकास की अवस्था में होता है, इसलिए माइक्रोप्लास्टिक व प्लास्टिक से निकलने वाले रासायनिक तत्व उनके स्वास्थ्य पर कहीं अधिक गहरा और दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकते हैं। आज आवश्यकता है कि बच्चों को इस अदृश्य खतरे से बचाने के लिए परिवार, विद्यालय और समाज मिलकर जिम्मेदारी निभाएँ।

बच्चों के लिए समझदार बनिए:

- छोटे बच्चो को दूध के बोतल से लेकर स्कूल के प्लास्टिक टिफिन और पानी की प्लास्टिक बोतलों से, माता पिता ही अनजाने में माइक्रोप्लास्टिक के संपर्क में ला रहे हैं, बाजार में मिल रहे सस्ते प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग बच्चों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं में डाल रहा है।
- इसलिए जरूरी है की उनकी खाने पीने की चीजों को प्लास्टिक के खतरनाक केमिकल्स और मइक्रोप्लास्टिक से बचाया जाए।
- प्लास्टिक कैसा भी हो मइक्रोप्लास्टिक में परिवर्तित हो ही जाता है, इसलिए अधिक से अधिक बच्चो के टिफिन, पानी की बोतल, दूध की बोतल इन सब को प्लास्टिक की जगह स्टील का इस्तेमाल करें।
- बच्चों को प्लास्टिक के उत्पाद खिलौने आदि भी अच्छी ग्रेड के प्लास्टिक या लकड़ी या मेटल के दे, सस्ते के चक्कर में बच्चों के भविष्य से न खेलें।
- बच्चों को प्लास्टिक से पैक्ड उत्पादों जैसे बोतलबंद पानी, कोल्ड्रिंक, चिप्स आदि से जितना हो दूर रखें या बहुत सीमित मात्रा में दे।

चेतावनी और जिम्मेदारी:

माइक्रोप्लास्टिक-प्रदूषण कोई दूरस्थ पर्यावरणीय समस्या नहीं; यह हमारे रक्त, हमारी जीवन-शैली और हमारे समाज तक पहुंच चुका है। नीति पहले से मौजूद है, पर अब आवश्यकता है गति की – वैज्ञानिक निगरानी, सख्त प्रवर्तन, उद्योग की जवाबदेही और नागरिक व्यवहार में परिवर्तन।

यह काम कठिन है, पर असंभव नहीं – यदि सरकार, उद्योग और नागरिक मिलकर चलें तो कलयुग के इस रक्तबीज को उसका फैलने का मार्ग बंद किया जा सकता है। हर पल इंतजार मायने रखता है क्योंकि हर टूटता टुकड़ा, हर अनदेखी हुई थैली, हर बिना सोचे-समझे फैसले का असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा।

मनरेगा का नया अवतार: क्या बदलेगा 'जी राम जी विधेयक'

भारत के ग्रामीण परिदृश्य में पिछले दो दशकों से सबसे बड़ा संबल रही 'मनरेगा' (MGNREGA) अब परिवर्तित होने जा रही है। संसद ने 'विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)' यानी वीबी-जी राम जी विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है। जो मनरेगा का स्थान लेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति के बाद अब यह कानून बन चुका है। उत्तर प्रदेश में भी राज्य में हर वर्ष औसतन 3.5-4 करोड़ जॉब-डिमांड दर्ज होती हैं और सूखा, बाढ़, महंगाई या प्रवासन जैसे संकटों में मनरेगा ने लाखों परिवारों को न्यूनतम आय-सुरक्षा दी है। ऐसे में केंद्र स्तर पर चल रही "मनरेगा सुधार/नया ढांचा (G-RAM-G)" संबंधी बहसों का प्रभाव उत्तर प्रदेश पर स्वाभाविक रूप से गहरा पड़ता है।

क्या है नए कानून में:

- 100 नहीं, अब 125 दिन के काम की गारंटी इस नए कानून का सबसे आकर्षक पहलू रोजगार के दिनों में बढ़ोतरी है।
- **पुराना नियम:** मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के गारंटीकृत रोजगार का प्रावधान था।
- **नया बदलाव:** 'जी राम जी' कानून के तहत अब हर ग्रामीण परिवार को 125 दिन के वैधानिक रोजगार की गारंटी दी गई है। यह 25% की सीधी

बढ़ोतरी है, जो ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा को मजबूत करेगी।

खेती और मजदूरी के बीच का 'संतुलन'

अक्सर किसानों की शिकायत रहती थी कि बुवाई और कटाई के समय मजदूर नहीं मिलते क्योंकि वे मनरेगा के कामों में लगे होते हैं। नए विधेयक में इसका समाधान निकाला गया है:

- **60 दिनों का 'एग्रीकल्चर पॉज':** राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि वे खेती के पीक सीजन (बुवाई और कटाई) के दौरान साल में अधिकतम 60 दिनों तक काम रोकने की अवधि तय कर सकें।
- **फायदा:** इससे किसानों को समय पर श्रमिक मिलेंगे और मजदूर भी खेती के काम से अतिरिक्त आय कमा सकेंगे, जबकि उनके 125 दिनों के रोजगार का हक सुरक्षित रहेगा।

टिकाऊ और उपयोगी ग्रामीण अवसंरचना से जुड़ा रोजगार

इस अधिनियम के अंतर्गत मजदूरी रोजगार को चार प्राथमिक विषयगत क्षेत्रों में टिकाऊ सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के सृजन के साथ स्पष्ट रूप से जोड़ा गया है (धारा 4(2), अनुसूची–I के साथ पठित):

- जल सुरक्षा एवं जल से संबंधित कार्य
- मुख्य ग्रामीण अवसंरचना
- आजीविका से संबंधित अवसंरचना
- प्रतिकूल मौसमीय घटनाओं के प्रभाव को कम करने वाले कार्य

सभी कार्य बॉटम-अप एप्रोच यानि गाँव स्तर से प्रस्तावित किए जाते हैं, तथा सृजित सभी परिसंपत्तियों को विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना स्टैक में समेकित किया जाता है, ताकि सार्वजनिक संसाधनों का कंवर्जेंस, विखंडन से बचाव और स्थानीय जरूरत के अनुसार आवश्यक ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण सेचूरेशन लक्ष्य के आधार पर परिणाम-आधारित योजना सुनिश्चित हो सके।

बजट और फंडिंगः राज्यों पर बढ़ेगा बोझ?

यहीं से इस विधेयक को लेकर बहस शुरू होती है। फंडिंग के ढांचे में एक बड़ा बदलाव किया गया है:

- **मनरेगा में:** अकुशल मजदूरी का 100% खर्च केंद्र सरकार उठाती थी लेकिन जी राम जी कानून में अब फंडिंग का अनुपात 60:40 (केंद्र और राज्य) कर दिया गया है। इससे अब विपक्षी दलों और विशेषज्ञों का तर्क है कि इससे गरीब राज्यों की वित्तीय स्थिति पर दबाव बढ़ेगा, जिससे योजना के क्रियान्वयन में देरी हो सकती है।

वीबी–जी राम जी का फंडिंग पैटर्नः

90 % केंद्र द्वारा, 10 % राज्यों द्वाराः

- **पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश**
- **अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड।**

60 % केंद्र द्वारा, 40 % राज्य द्वाराः

- **विधानमंडल वाले अन्य सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश**
- **आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी।**

100 % केंद्र द्वारा

- **विधानमंडल के बिना चार केंद्र शासित प्रदेश**
- **लद्दाख, अंडमान और निकोबार, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव और लक्षद्वीप**

'डिमांड ड्रिवन' से 'बजट कैप' की ओर?

- मनरेगा अपनी 'मांग आधारित' प्रकृति के लिए जानी जाती थी- यानी जब भी काम मांगा जाए, सरकार को देना पड़ता था। नए कानून में 'नॉर्मेटिव एलोकेशन' (मानक आवंटन) की बात कही गई है। सरकार का तर्क है कि इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी

और बजट का बेहतर प्रबंधन होगा, जबकि आलोचकों को डर है कि

बजट खत्म होने पर मजदूरों को काम मिलना मुश्किल हो जाएगा।

हाई–टेक निगरानी और टिकाऊ संपत्तियां

सरकार का लक्ष्य 'गड्ढे खोदने' वाली छवि को बदलकर ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है:

- **चार प्राथमिकता क्षेत्र:** जल संरक्षण, ग्रामीण सड़कें, आजीविका के साधन (भंडारण, बाजार) और जलवायु परिवर्तन से बचाव के कार्य।
- **AI और बायोमेट्रिक्स:** फर्जी हाजिरी रोकने के लिए AI-आधारित धोखाधड़ी पहचान प्रणाली और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य किया गया है।

सशक्तिकरण और समावेशी विकास पर जोर

सरकार का कहना है कि नए कानून का मकसद केवल रोजगार देना नहीं है, बल्कि ग्रामीण समाज का समग्र सशक्तिकरण करना भी है। वीबी-जी राम जी के तहत समावेशी विकास को प्राथमिकता दी गई है, ताकि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। सरकार का दावा है कि यह कानून महिलाओं, कमजोर वर्गों और जरूरतमंद परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थायी मजबूती मिलेगी।

सरकार चाहती है कि ग्रामीण इलाकों में चल रही योजनाएं एक-दूसरे से जुड़कर ज्यादा प्रभावी परिणाम दें। सड़कों, जल संरक्षण, सिंचाई, आवास और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कामों को रोजगार से जोड़कर गांवों की तस्वीर बदलने की योजना है। इससे विकास कार्यों में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ेंगी।

वीबी-जी राम जी कानून में संतृप्ति आधारित डिलीवरी को खास महत्व दिया गया है। इसका मतलब यह है कि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे। सरकार का कहना है कि अंतिम व्यक्ति तक रोजगार और आजीविका का लाभ पहुंचाना इस कानून का मूल उद्देश्य है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में असमानता कम होगी और विकास का लाभ सभी तक पहुंचेगा।

विपक्ष के आरोप

विपक्ष का आरोप है कि सरकार 'दबे–छिपे' ऐसी स्कीम ला रही है जिसका 'पूरा नियंत्रण' केंद्र सरकार के हाथों में होगा। राज्य सरकारों को 'ज्यादा खर्च' करना होगा और 'क्रेडिट केंद्र सरकार को मिलेगा'।

लोकसभा में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा था, 'मैं इस बिल पर सख्त विरोध दर्ज कराती हूं. मनरेगा जब हम लेकर आए थे तब लगभग सभी राजनीतिक दलों ने उसका समर्थन किया था। इससे साबित होता है कि वो लोगों के कल्याण के लिए लाया गया कानून था. नए बिल में केंद्र सरकार को ही सभी अधिा कार दे दिए गए हैं. और वो तय करेगी कि किस राज्य को कितना फंड देना है. जबकि मनरेगा में फंड के निर्धारण में गांवों की पंचायतों की भूमिका भी थी।

प्रियंका गांधी ने ये भी कहा था, 'पहले की सरकारों की हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ से परे है।'

उन्होंने इस बिल को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग करते हुए कहा, 'बिना चर्चा और सदन की सलाह लिए इस विधोयक को पास

नहीं किया जाना चाहिए। इसको वापस लेना चाहिए और सरकार को नया विधेयक लाना चाहिए. इसे गहन जांच–पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए।'

'जी राम जी' विधेयक ग्रामीण भारत को आधुनिक बनाने और आत्मनिर्भरता (Viksit Bharat 2047) से जोड़ने की एक महत्वाकांक्षी कोशिश है। 125 दिन का रोजगार और किसानों की सुविधा के लिए 'एग्रीकल्चर पॉज' स्वागत योग्य कदम हैं। हालांकि, राज्यों के साथ 40% खर्च साझा करने की चुनौती और बजट की सीमाएं इस कानून की सफलता का असली लिटमस टेस्ट होंगी।

अरावली: परिभाषा के फेर में प्रकृति

भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक अरावली पर्वतमाला आज अपने अस्तित्व की सबसे गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक फैली यह श्रृंखला केवल भूगोल का हिस्सा नहीं, बल्कि उत्तर भारत की जलख्रपर्यावरणीय सुरक्षा कवच रही है। विडंबना यह है कि "विकास" के नाम पर यही अरावली आज भविष्य की बलि चढ़ाई जा रही है।

अरावली का इतिहास

अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है।इ भूवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार इसकी उत्पत्ति लगभग 2.5 से 3 अरब वर्ष पूर्व प्रीकैम्ब्रियन युग में हुई थी। यह पर्वतमाला गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर में फैली हुई है।

क्या है मामला:

- केंद्र सरकार द्वारा 13 अक्टूबर 2025 को प्रस्तावित और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 20 नवंबर 2025 को स्वीकार की गई अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा, भारतीय वन सर्वेक्षण के एक आंतरिक आकलन के अनुसार, खनन और अन्य विकास गतिविधियों से सुरक्षा के दायरे से लगभग 90% हिस्से को प्रभावी रूप से बाहर कर देती है।

- आलोचकों को आशंका है कि नई परिभाषा पहले से ही खराब हो चुकी इस पर्वत श्रृंखला के लिए एक बड़ा झटका साबित होगी, जो उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी भारत को विविध पारिस्थितिक और पर्यावरणीय सेवाएं प्रदान करती है।

क्या है नयी परिभाषाः

- केंद्र सरकार की सिफारिशों के बाद न्यायालय द्वारा स्वीकृत नई परिभाषा के अनुसार, अरावली पर्वतमाला वह भू-आकृति है जो आसपास के भूभाग से कम से कम 100 मीटर (328 फीट) ऊपर उठती है। साथ ही ऐसी दो या अधिक अरावली पहाड़ियों का समूह, जो एक-दूसरे से 500 मीटर के दायरे में स्थित हों उसे अरावली पर्वतमाला कहा जाएगा।
- उदाहरण के लिए अगर प्वाइंट A पर कोई पहाड़ है और उसकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है तो ऐसे मामले में उस पहाड़ के 500 मीटर के दायरे को अरावली रेंज मान लिया जाएगा और वहां किसी भी प्रकार के खनन की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा अगर प्वाइंट A से कुछ दूर एक और पहाड़ की ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है तो उसके भी 500 मीटर के दायरे को अरावली रेंज में गिना जाएगा और वहां इस पूरे इलाके में खनन को रोकना सरकार का काम होगा।

लोगो की नाराजगी की वजहः

- सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बहुत सारे लोग और खासकर पर्यावरणविद इससे नाराज हो गए और उनका कहना ये है कि इस नई परिभाषा के कारण बहुत सारे अरावली के पहाड़ों को पहाड़ ही नहीं माना जाएगा और अरावली रेंज में बेहिसाब खनन शुरू

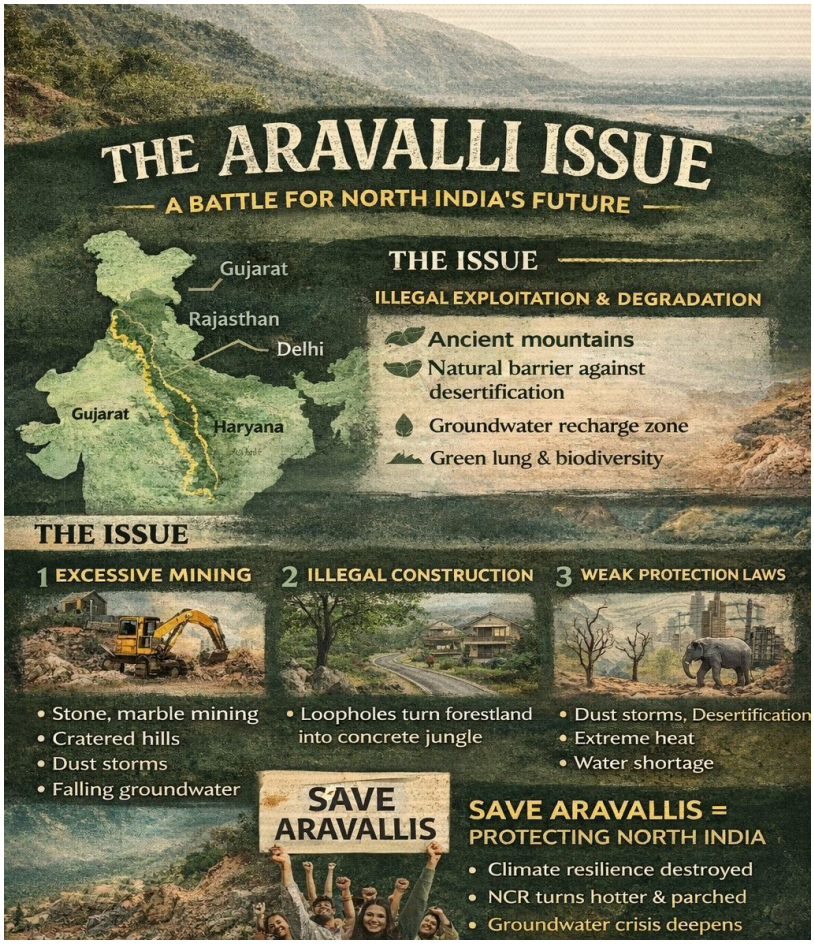

हो जाएगा। इनका मानना है कि यह नई परिभाषा अरावली के 90 प्रतिशत पहाड़ों को ख त्म करने के संकट में डाल देगी।

- अक्टूबर 2024 में भारतीय वन सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि राजस्थान के कुल 15 जिलों में अरावली के 12081 पहाड़ हैं, जिसमें से सिर्फ 1048 यानी 8.7 प्रतिशत पहाड़ ही ऐसे हैं, जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अकेले राजस्थान में अरावली के 90 प्रतिशत से ज्यादा पहाड़ों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है और अब नई परिभाषा के कारण ये सारे पहाड़ खतरे में आ सकते हैं।
- इसी बात को देखते हुए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट में एक सुझाव दिया था और वो सुझाव ये था कि 100 मीटर की जगह 30 मीटर या उसके बराबर ऐसे छोटे-छोटे पहाड़ों पर खनन की इजाजत नहीं होनी चाहिए, जिनकी ढलान 4.57 डिग्री या उससे ज्यादा हो। अब इस सुझाव में तो 30 मीटर ऊंचे अरावली पहाड़ों को पहाड़ मानने की बात कही गई थी लेकिन केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिशों में इसे 100 मीटर कर दिया गया और आज इसी को लेकर विवाद हो रहा है।

अरावली का पर्यावरणीय और भौगोलिक महत्त्व

- **जलवायु संतुलन में भूमिका:** अरावली पर्वतमाला थार मरुस्थल को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकने में प्राकृतिक अवरोध का कार्य करती है। यह मानसूनी हवाओं की दिशा और वर्षा-वितरण को प्रभावित कर उत्तर भारत के जलवायु संतुलन को बनाए रखती है।
- **जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण:** अरावली क्षेत्र वर्षा जल को संचित कर भूजल पुनर्भरण में मदद करता है। हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के कई इलाके अपनी जल सुरक्षा के लिए अरावली पर निर्भर रहे हैं।
- **जैव विविधता का केंद्र:** अरावली वन क्षेत्र अनेक वनस्पति और जीव-जंतुओं का आवास है, जैसे तेंदुआ, सियार, नीलगाय, सर्प और औषधीय पौधे। यह पर्वतमाला उत्तर भारत की जैव विविधता की रीढ़ मानी जाती है।
- **मृदा संरक्षण और कृषि:** अरावली ढलानों द्वारा मृदा अपरदन को रोकने में सहायता मिलती है, जिससे आसपास के मैदानी क्षेत्रों की कृषि भूमि सुरक्षित रहती है।
- **सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्त्व:** अरावली ने राजपूत स्थापत्य, दुर्गों (जैसे कुम्भलगढ़ क्षेत्र) और व्यापार मार्गों को संरक्षण दिया। यह केवल प्राकृतिक संरचना नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का भी अहम हिस्सा है।

केंद्र सरकार का तर्क

- केन्द्र सरकार का कहना है कि नयी परिभाषा से 90 प्रतिशत पहाड़ हमेशा के लिए संरक्षित और सुरक्षित हो जाएंगे, और उन्हें कोई नहीं छू पाएगा। असल में सरकार की दलील ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अब तक गलत समझा गया है, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि जो पहाड़ 100 मीटर ऊंचे नहीं होंगे, उन्हें पहाड़ नहीं माना जाएगा, जबकि ये सच नहीं है।
- सरकार का कहना है कि 100 मीटर की ऊंचाई सिर्फ पहाड़ों की पहचान के लिए रखी गई है और असली परिभाषा ये है कि अगर कोई पहाड़ 100 मीटर से ऊंचा है तो उसके आसपास 500 मीटर के इलाके को अपने आप संरक्षित मान लिया जाएगा। इसके अलावा अगर इस 500 मीटर के इलाके में एक और पहाड़ आता है और उसकी ऊंचाई भी 100 मीटर से अधिक होती है तो उसके भी 500 मीटर के इलाके को अरावली रेंज माना जाएगा और इस तरह जो छोटे पहाड़ हैं और जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है, वो अपने आप बड़े पहाड़ों के दायरे में आने से संरक्षित हो जाएंगे।
- हालांकि सरकार के इस स्पष्टीकरण के बाद भी बड़ा सवाल यही है कि जब अरावली के पहाड़ों में ज्यादातर पहाड़ों की ऊंचाई 100 मीटर से कम है तो ऐसे में ये कैसे स्पष्ट होगा कि कौन से पहाड़ पहाड़ रहेंगे और कौन से पहाड़ खनन के हवाले कर दिए जाएंगे।

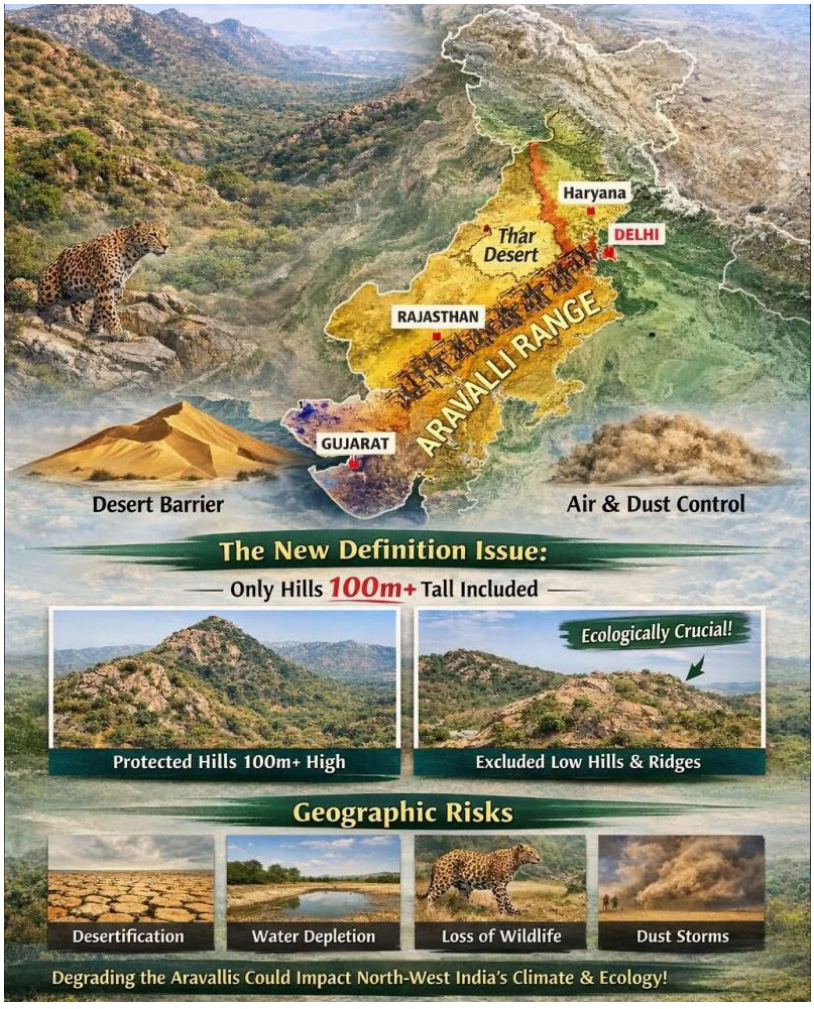

जनाक्रोश के बाद नया आदेश:

अरावली पर्वतमाला को लेकर खड़े हुए विवाद के बीच केंद्र सरकार ने अरावली रेंज में नया खनन पट्टा देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के मुख्य सचिवों को बुधवार को लिखे पत्र में साफ कहा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत व उसकी ओर से मंजूर की गई नीति के तहत अरावली के संरक्षण और खनन के लिए नए क्षेत्रों की पहचान नहीं हो जाती है तब तब यह प्रतिबंध लागू रहेगा। फिर भी अगर सरकार ने अरावली के क्षरण का रास्ता खोला तो इसके दुष्परिणाम केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रहेंगे- जल संकट, बढ़ती हीटवेव, कृषि उत्पादकता में गिरावट और सामाजिक-आर्थिक अस्थिरता इसके प्रत्यक्ष परिणाम होंगे। इसलिए आवश्यक है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित किया जाए, कानूनी संरक्षण को सख्ती से लागू किया जाए और स्थानीय समुदायों को संरक्षण की प्रक्रिया में भागीदार बनाया जाए। क्योंकि अरावली का संरक्षण केवल प्रकृति बचाने का प्रश्न नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की शर्त है। आज लिया गया निर्णय ही तय करेगा कि अरावली एक चेतावनी बनकर रह जाएगी या भारत की सतत विकास यात्रा की मजबूत आधारशिला।

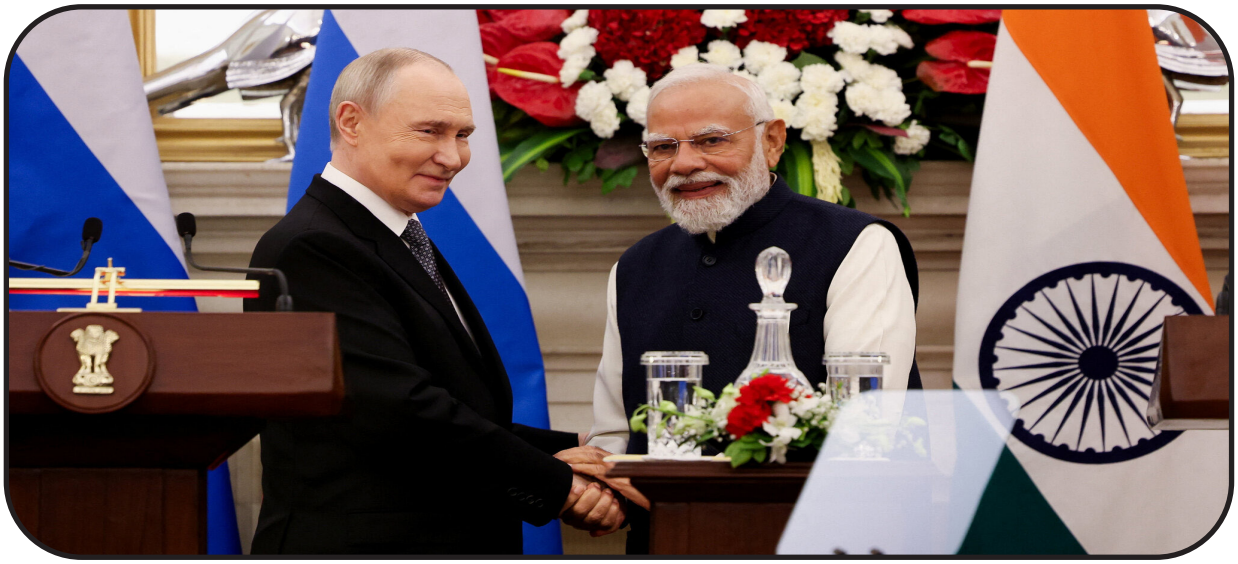

पुतिन, मोदी और नई विश्व राजनीति

भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर, रूसी संघ के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 04-05 दिसंबर, 2025 को भारत की राजकीय यात्रा पर आए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया और रेड कार्पेट पर स्वागत के साथ ही रूसी राष्ट्रपति को 'गार्ड ऑफ ऑनर' दिया गया। इस सम्मेलन ने न केवल द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊर्जा दी, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि 'नई विश्व राजनीति' में भारत किसी एक खेमे का पिछलग्गू नहीं, बल्कि खुद एक स्वतंत्र ध्रुव है।

23वां भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन

- **आयोजन:** 4-5 दिसंबर 2025, नई दिल्ली
- **रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष (स्थापना:** अक्टूबर 2000)
- **द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य:** 2030 तक

100 अरब अमेरिकी डॉलर

- **कार्यक्रम 2030 अपनाया गया:** आर्थिक सहयोग के रणनीतिक क्षेत्र तय
- राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार और वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों पर सहमति
- **ऊर्जा सहयोग:** तेल, गैस, LNG, परमाणु ऊर्जा (कुडनकुलम परियोजना)
- **भारत का लक्ष्य:** 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता
- **परिवहन गलियारे:** INSTC, चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग
- **रक्षा सहयोग:** सह-विकास, सह-उत्पादन, 'मेक इन इंडिया' पर जोर
- **UNSC सुधार:** रूस का भारत की स्थायी सदस्यता को समर्थन
- आतंकवाद पर शून्य सहिष्णुता, पहलगाम (भारत) व मॉस्को हमलों की संयुक्त निंदा
- बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और ग्लोबल साउथ को मजबूत करने पर सहमति
- **अगला शिखर सम्मेलन:** 2026, रूस

प्रतीकों और परिणामों का संगम पुतिन की यात्रा:

युद्ध और प्रतिबंधों के बीच राष्ट्रपति पुतिन का नई दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर उतरना और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी गर्मजोशी भरी मुलाकात वैश्विक मंच पर एक बड़ा 'मैसेज' थी।

- **100 अरब डॉलर का रोडमैप:** दोनों नेताओं ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में $69 बिलियन के व्यापार को संतुलित करने के लिए भारत अब फार्मा, कृषि और तकनीक निर्यात पर जोर दे रहा है।
- **ऊर्जा और सुरक्षा की ढाल:** रूस ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए रियायती कच्चे तेल की निरंतर आपूर्ति का भरोसा दिया। वहीं, रक्षा क्षेत्र में S-400 की डिलीवरी पूरी होने और RELOS (लॉजिस्टिक्स सहयोग) समझौते पर अंतिम मुहर ने सैन्य संबंधों की गहराई को दर्शाया।
- **लेबर मोबिलिटी:** एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दोनों देशों ने 'कुशल श्रम गतिशीलता' समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारतीय पेशेवरों के लिए रूस में काम करने के रास्ते खुल गए।

वॉशिंगटन की 'टैरिफ चुनौती' बनाम मॉस्को की 'वफादारी'

हाल ही के समय में भारत के सामने सबसे कठिन समीकरण अमेरिका के साथ रहा। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय उत्पादों पर लगाए गए भारी 'टैरिफ' और रूस से तेल खरीदने के कारण बढ़ते दबाव ने नई दिल्ली की परीक्षा ली।

अमेरिकी रणनीतिकार भारत को 'iCET' और 'COMPACT' जैसे हाई-टेक समझौतों के जरिए अपने पाले में खींचना चाहते हैं, लेकिन पुतिन की यात्रा ने यह साबित कर दिया कि भारत अपनी 'रणनीतिक स्वायत्तता' से समझौता नहीं करेगा। भारत का संदेश साफ है, वह वॉशिंगटन का साझेदार है, लेकिन मॉस्को का 'छोटा भाई' या अमेरिका का 'जूनियर पार्टनर' नहीं।

नई विश्व राजनीति में भारत की भूमिका

आज की राजनीति अब 'शीत

पुतिन 10वीं बार भारत पहुंचे

2-5 अक्टूबर 2000
रूस के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद पहली विदेश यात्रा।

3-4 दिसंबर 2002
अटल बिहारी वाजपेयी और डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम से मुलाकात।

3-5 दिसंबर 2004
तत्कालीन PM मनमोहन सिंह के साथ बैठक।

25-26 जनवरी 2007
58वें गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया।

24 दिसंबर 2012
13वां भारत-रूस समिट।रक्षा और ऊर्जा समझौते हुए।

10-11 दिसंबर 2014
15वां भारत-रूस समिट
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात।
कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट सौदा।

15-17 अक्टूबर 2016
8वां BRICS समिट, गोवा
भारत को 5 S-400 मिसाइल सिस्टम देने पर समझौता।

4-5 अक्टूबर 2018
19वां भारत-रूस समिट
2030 तक ट्रेड ₹2.55 लाख करोड़ करने पर समझौता।

6 दिसंबर 2021
21वां भारत-रूस समिट
कोविड के बाद पहली भारत यात्रा।
AK-203 राइफल के भारत में निर्माण पर सहमति बनी।

4-5 दिसंबर 2025 (वर्तमान)
23वीं भारत-रूस समिट

युद्ध' वाली पुरानी बाइनरी (रूस या अमेरिका) में कैद नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने शिखर सम्मेलन में जोर देकर कहा कि भारत 'शांति के पक्ष' में है।

- **ग्लोबल साउथ का सेतु:** भारत खुद को पश्चिम और रूस के बीच एक मध्यस्थ के रूप में देख रहा है।
- **रुपया-रुबल और डिजिटल अर्थव्यवस्था:** पश्चिमी पेमेंट सिस्टम (SWIFT) पर निर्भरता कम करने के लिए UPI और रूसी MIR सिस्टम का एकीकरण अंतिम चरण में है।
- **यूरेशिया और आर्कटिक:** भारत अब रूस के 'सुदूर पूर्व' और आर्कटिक क्षेत्र में निवेश कर अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी ने दिए पुतिन को दिए विशेष उपहार

उपहार 1– असम की मशहूर ब्लैक टी जो अपने मजबूत स्वाद और खास सुगंधा के लिए जानी जाती है और भारत की समृ) खेती और चाय परंपरा की पहचान है।

उपहार 2– मुरादाबाद की पारंपरिक कारीगरी से बना सिल्वर टी सेट दिया गया, जो भारत और रूस के साझा "टी कल्चर" यानी चाय की परंपरा की दोस्ताना भावना को दर्शाता है।

उपहार 3– खूबसूरती से उकेरा गया सिल्वर हॉर्स जिसमे महाराष्ट्र की कला झलकती है। इसका आगे बढ़ता हुआ रूप भारत–रूस संबंध ाों की ऊर्जा, गति और प्रगति का प्रतीक बताया गया है।

उपहार 4– आगरा की शिल्पकला से सजा मार्बल चेस सेट जिसमें रंगीन सेमी–प्रेशियस स्टोन के साथ बारीक इनले वर्क किया गया है। यह हस्तकला भारतीय कलाकारों की सुंदरता और सटीकता का उदाहरण है।

उपहार 5– जाफरान द्धकेसरऋ, जिसे "लाल सोना" कहा जाता है और जो जीआई टैग से सम्मानित है। यह उपहार भारत की प्राकृतिक सौगात के साथ–साथ कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी है।

उपहार 6 – श्रीमद्भगवद्गीता का रूसी संस्करण, जो न सिर्फ आध्यात्मिक ग्रंथ है बल्कि जीवन, कर्तव्य और आत्मचिंतन का मार्गदर्शन देता है।

भारत की सराहना:

दोनों पक्षों ने अक्टूबर 2022 में भारत में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोकथाम समिति (सीटीसी) की विशेष बैठक का स्मरण किया, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की थी और आतंकवादी उद्देश्यों के लिए नई एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग का मुकाबला करने पर सर्वसम्मति से अपनाए गए दिल्ली घोषणापत्र का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि घोषणापत्र का उद्देश्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के आतंकवादी द्वारा इस्तेमाल, जैसे भुगतान प्रौद्योगिकियों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और धन उगाहने के तरीकों और मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी या ड्रोन) के दुरुपयोग से जुड़ी मुख्य चिंताओं को शामिल करना है। दोनों पक्षों ने ऑनलाइन क्षेत्र में कट्टरपंथ और चरमपंथी विचारधारा के प्रसार को रोकने पर विशेष ध्यान देते हुए इस क्षेत्र में और सहयोग विकसित करने की अपनी तत्परता भी व्यक्त की। इस संबंध में, उन्होंने एससीओ और ब्रिक्स प्रारूपों के भीतर प्रासंगिक तंत्रों को मजबूत करने की सकारात्मक गति पर संतोष व्यक्त किया।

पुतिन की 2025 की भारत यात्रा ने यह दिखा दिया कि भारत 'मल्टी-एलाइनमेंट' की कला में माहिर हो चुका है। जहाँ एक तरफ भारत क्वाड (Quad) के माध्यम से हिंद-प्रशांत में चीन की घेराबंदी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर रूस के साथ अपनी 'विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी' को भी संजो रहा है।

वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच का यह कठिन समीकरण ही दरअसल भारत की ताकत है। दिसंबर 2025 की यह शिखर वार्ता बताती है कि आने वाले समय में विश्व राजनीति का केंद्र वही होगा, जो विरोधाभासों के बीच समन्वय बिठाने का साहस रखेगा।

प्रयागराज कुम्भ 2026 : क्या हैं तैयारियां

2025 के महाकुंभ की अभूतपूर्व सफलता और वैश्विक स्तर पर मिली सराहना के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार अब 3 जनवरी 2026 से शुरू होने जा रहे 'माघ मेला' को उसी भव्यता के साथ आयोजित करने जा रही है। चूँकि यह महाकुंभ के ठीक बाद का पहला माघ मेला है, इसलिए इसे 'मिनी कुंभ' के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि सुविधाएं और सुरक्षा वैसी ही होंगी जैसी महाकुंभ के दौरान थीं।

श्रद्धालुओं के लिए बनाया जा रहा 8 किलोमीटर लंबा स्नान घाट

माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए 8 किलोमीटर लंबा स्नान घाट बनाया जा रहा है। गंगा और यमुना दोनों नदियों के तट पर अस्थाई घाट बनाए जा रहे हैं। अस्थाई घाट बनाने के लिए सीमेंट की बोरियों में रेत भरकर अस्थाई घाट का निर्माण किया जा रहा है। ताकि स्नान घाटों पर फिसलन की वजह से किसी तरह का कोई हादसा न हो। इसके अलावा स्नान घाटों के आगे डीप वॉटर बैरिकेटिंग भी लगाई जा रही है। ताकि श्रद्धालुओं के गहरे पानी की ओर जाने से किसी तरह का हादसा न हो।

घाट बनने से संगम नोज पर श्रद्धालुओं का दबाव होगा कम

मेला प्रशासन का दावा है कि मेला शुरू होने से पहले 8 किलोमीटर लंबा घाट बना लिया जाएगा। जिससे संगम नोज पर भी श्रद्धालुओं का दबाव कम होगा। मेला प्रशासन की रणनीति है कि प्रमुख स्थान पर्वों के दिन श्रद्धालुओं की भीड़ को विभिन्न स्नान घाटों पर डायवर्ट किया जाएगा। ताकि संगम नोज या किसी एक जगह ज्यादा भीड़ न हो और कोई हादसा न हो।

यात्रियों की सुविधा के लिए पार्किंग बंद रहेगी

माघ मेला 2026 के दौरान यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज तथा छिवकी स्टेशनों पर पार्किंग व्यवस्था सीमित या बंद रहेगी। प्रयागराज जंक्शन के सिटी साइड पार्किंग स्टैंड 17 फरवरी तक पूरी तरह बंद रहेगा। वहीं सिविल लाइंस साइड का बाइक, कार और ई-रिक्शा स्टैंड प्रमुख स्नान पर्वों के दौरान बंद रहेगा- दो से पांच जनवरी, 13 से 26 जनवरी, 31 जनवरी से तीन फरवरी तथा 14 से 17 फरवरी तक।

मेले की सुरक्षा में तैनात की जा रही 10 हजार पुलिस फोर्स

जानकारी के अनुसार, इस बार योगी सरकार 800 हेक्टेयर और 7 सेक्टर में माघ मेले को आयोजित कर रही है। माघ मेले की सुरक्षा में लगभग 10 हजार पुलिस फोर्स की तैनाती की जा रही है। मेले में 17 थाने, 42 पुलिस चौकियां और 17 फायर स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही एआई युक्त सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से भी मेले की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी।

प्रयागराज माघ मेले के आधिकारिक लोगो में महत्वपूर्ण प्रतीक शामिल

- **अक्षयवटः अक्षय पुण्य और सनातन परंपरा का साक्षी।**
- **सूर्य और चंद्र देवः 27 नक्षत्रों के साथ ब्रह्मांडीय गति का संकेत, जो माघ मेले के आयोजन काल को निर्धारित करते है।**
- **संगम तटः तीन पवित्र नदियों के संगम का पवित्र दर्शन।**
- **साइबेरियन पक्षियों का आगमनः पर्यावरण, प्रकृति और संगम की विशिष्टता का एहसास।**
- **बड़े हनुमान जीः प्रयागराज की पहचान और आस्था का केंद्र।**
- **सनातन पताकाः सनातन संस्कृति के विस्तार और पवित्रता का संदेश।**

लोगो पर अंकित श्लोक 'माघे निमज्जनं यत्र पापं परिहरेत् ततः' माघ मास के स्नान और पवित्रता की घोषणा करता है।

यह लोगो मेला प्राधिकरण द्वारा नियुक्त डिजाइन कंसल्टेंट

अजय सक्सेना और प्रागल्भ अजय ने तैयार किया है।

माघ मेला में 42 वैकल्पिक पार्किंग स्थल होंगे

मेला प्रशासन ने शहर में 42 से अधिक वैकल्पिक पार्किंग स्थल विकसित किए हैं, जहां से शटल बसें और ई-रिक्शा संगम क्षेत्र तक पहुंचाएंगे। रेलवे ने अपील की है कि श्रद्धालु निजी वाहनों की बजाय सार्वजनिक परिवहन या विशेष ट्रेनों का उपयोग करें। प्रमुख स्नान पर्वों- मकर संक्रांति (15 जनवरी), मौनी अमावस्या (18 जनवरी), वसंत पंचमी (23 जनवरी) आदि पर भीड़ अधिक रहेगी, इसलिए इनके अनुरूप ही योजना बनाएं। माघ मेला 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर समाप्त होगा और पार्किंग पर प्रतिबंध इसके दो दिन बाद तक जारी रहेगा।

प्रमुख स्नान पर्वों पर नहीं होगा कोई वीआईपी प्रोटोकॉलः

प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेला 2026 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विस्तृत समीक्षा बैठक की और स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रमुख स्नान पर्वों पर किसी भी तरह का वीआईपी प्रोटोकॉल लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि माघ मेला केवल आस्था का आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सनातन परंपरा, सामाजिक अनुशासन और प्रशासनिक दक्षता का प्रतीक है।श्रद्धालुओं को सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित वातावरण देना सरकार की प्राथमिकता है।

स्वच्छता पर जोरः

स्वच्छता को लेकर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। मेला क्षेत्र में 16,650 शौचालय स्थापित किए जाएंगे और 3300 सफाई मित्र 24 घंटे तैनात रहेंगे। माघ मेला को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि गंगा और यमुना की पवित्रता बनी रहे

नवाचार के तौर पर ऐप आधारित बाइक टैक्सी, क्यूआर कोड प्रणाली और हाईटेक सुविधाएं लागू की जा रही हैं। साथ ही 19वीं और 20वीं सदी के माघ मेलों से जुड़ी दुर्लभ पांडुलिपियां और लोक अभिलेख भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनेंगे।

भीड़ प्रबंधन के लिए तकनीकी का इस्तेमालः

सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक पर जोर दिया गया है। मेला क्षेत्र में एआई आधारित सर्विलांस और रीयल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है। करीब 450 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। एसडीआरएफ और

एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात रहेंगी। अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती के निर्देश दिए गए हैं।

मेले के लिए चलेंगी विशेष ट्रेनें:

माघ मेला 2026 के लिए महाकुम्भ की तर्ज पर ही तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। महाकुम्भ की तरह रेलवे प्रशासन माघ मेला के दौरान ऑन डिमांड स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा। स्पेशल ट्रेनों के लिए भी मेमू रेक का ही ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होगा। ताकि इंजन की अदला बदली में लगने वाले समय की बचत हो सके।

महाकुम्भ के दौरान भी रेलवे ने ऑन डिमांड स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया था। वही व्यवस्था माघ मेला 2026 में भी की जा रही है। मुख्य स्नान पर्व के दौरान ही ज्यादा से ज्यादा स्पेशल ट्रेनों को चलाने की तैयारी है।

प्रयागराज का माघ मेला 2026 यह सिद्ध करेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार केवल बड़े आयोजनों में ही नहीं, बल्कि हर साल होने वाली इस आध्यात्मिक परंपरा में भी 'सर्वोत्तम प्रबंधन' का मानक रखती है। संगम की रेती पर कल्पवास और त्रिवेणी में डुबकी लगाने आ रहे श्रद्धालुओं के लिए यह अनुभव दिव्य और सुरक्षित होने वाला है।

विश्व कप 2026 के लिए कितना तैयार भारत

जैसे ही साल 2025 विदा हो रहा है, क्रिकेट की दुनिया की नजरें दक्षिण एशिया पर टिक गई हैं। अब से ठीक 40 दिन बाद, 7 फरवरी 2026 को भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में 10जी ICC पुरुष टी-20 विश्व कप का बिगुल बजने वाला है। दिसंबर 2025 के अंत तक भारत की तैयारियों का जायजा लें, तो स्पष्ट है कि 'ब्लू ब्रिगेड' न केवल मैदान पर, बल्कि बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर भी पूरी तरह लैस है।

टीम इंडिया का 'ब्लूप्रिंट' तैयार:

- 20 दिसंबर 2025 को बीसीसीआई ने विश्व कप के लिए 15-सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा कर सबको चौंका दिया।
- **सूर्यकुमार यादव का नेतृत्व:** सूर्या की कप्तानी में टीम इंडिया अपने खिताब को बचाने उतरेगी।

- **बड़े बदलाव:** टीम में शुभमन गिल की जगह ईशान किशन की वापसी हुई है, जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 में शानदार प्रदर्शन किया। अक्षर पटेल को उप-कप्तान की जिम्मेदारी दी गई है।
- **प्रमुख खिलाड़ी:** जसप्रीत बुमराह, रिंकू सिंह और तिलक वर्मा जैसे सितारों के साथ भारत एक संतुलित 'युवा और अनुभवी' मिश्रण के साथ उतर रहा है।

स्टेडियम और बुनियादी ढांचा: 'वर्ल्ड क्लास' तैयारी

- दिसंबर 2025 तक भारत के पांचों प्रमुख वेन्यू ''अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता'' पूरी तरह तैयार हो चुके हैं।
- **नरेंद्र मोदी स्टेडियम (अहमदाबाद):** 8 मार्च 2026 को होने वाले 'ग्रैंड फिनाले' के लिए दुनिया के इस सबसे बड़े स्टेडियम को नई लाइटिंग और डिजिटल अनुभव के साथ अपडेट किया गया है।
- **वानखेड़े (मुंबई):** यहाँ भारत 7 फरवरी को अमेरिका के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। स्टेडियम के ड्रेनेज सिस्टम और स्टैंड्स को नया स्वरूप दिया गया है।
- **चिन्नास्वामी का संकट:** बेंगलुरु को सुरक्षा कारणों से (जून 2025 की घटना के बाद) मेजबानी से बाहर रखा गया है, लेकिन दिल्ली और चेन्नई के मैदानों ने अपनी तैयारियों से आईसीसी को प्रभावित किया है।

पाकिस्तान का 'न्यूट्रल' वेन्यू और हाई-वोल्टेज मुकाबला

- राजनीतिक समीकरणों को देखते हुए, दिसंबर 2025 में यह पुष्टि हो चुकी है कि पाकिस्तान की टीम अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगी।
- **सबसे बड़ी भिड़ंत:** दुनिया का सबसे प्रतीक्षित मैच, भारत बनाम पाकिस्तान, 15 फरवरी 2026 को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके लिए टिकटों की मारामारी अभी से शुरू हो चुकी है।

T20I वर्ल्ड कप 2026

ग्रुप ए	ग्रुप बी
भारत	ऑस्ट्रेलिया
पाकिस्तान	श्रीलंका
USA	जिम्बाब्वे
नामीबिया	आयरलैंड
नीदरलैंड	ओमान

ग्रुप सी	ग्रुप डी
इंग्लैंड	सा. अफ्रीका
वेस्ट इंडीज	न्यूजीलैंड
इटली	अफगानिस्तान
बांग्लादेश	UAE
नेपाल	कनाडा

तैयारी का अंतिम चरण

भारत अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए जनवरी 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की टी-20 सीरीज खेलेगा। दिसंबर 2025 के अंत तक टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर का ध्यान 'स्ट्राइक रेट' और 'मिडल ऑर्डर' के लचीलेपन पर है। दिसंबर 2025 तक भारत की मेजबानी और टीम की फॉर्म, दोनों ही 10 में से 9 अंक हासिल करती दिख रही हैं। डिफेंडिंग चैंपियन होने का दबाव जरूर है, लेकिन घरेलू दर्शकों का समर्थन और एशिया कप 2025 की जीत का आत्मविश्वास भारत को 'फेवरेट' बनाता है।

‘प्रेरणा स्थल’ का उद्घाटन: सामाजिक चेतना और स्मृति का नया अध्याय

25 दिसंबर 2025 का दिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बसंत कुंज योजना में निर्मित ‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ का भव्य उद्घाटन कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। इस समारोह में प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमामयी उपस्थिति रही। यह केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि देश के महान नायकों के आदर्शों को जीवित रखने वाला एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है। प्रधानमंत्री ने परिसर में स्थापित महापुरुषों की भव्य प्रतिमाओं के समक्ष शीश नवाया। यह दृश्य न केवल श्रद्धा का था, बल्कि ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ के उस संकल्प का भी था जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने धरातल पर उतारा है।

क्यों खास है स्थल?

राष्ट्र प्रेरणा स्थल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की परिकल्पना पर आधारित है। 65 एकड़ क्षेत्र में इसे राष्ट्रीय महत्व के एक भव्य स्मारक और प्रेरणादायी परिसर के रूप में 230 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया गया है। इस परिसर में डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 65-65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जो भारतीय राजनीतिक चिंतन, राष्ट्र निर्माण और सार्वजनिक जीवन में उनके ऐतिहासिक योगदान का प्रतीक हैं।

ख्यात मूर्तिकार राम वी सुतार व मातू राम ने प्रतिमाएं गढ़ी हैं। परिसर में एक संग्रहालय भी है, जिसे कमल के आकार में डिजाइन किया गया है। यह संग्रहालय लगभग 98000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैला है। यहां उन्नत डिजिटल तकनीक से भारत की यात्रा और इन दूरदर्शी नेताओं के योगदान को प्रदर्शित किया गया है।

वास्तुकला की सराहना: भव्यता और विरासत का मेल

‘राष्ट्र प्रेरणा स्थल’ की वास्तुकला आधुनिक तकनीक और

पारंपरिक भारतीय गौरव का अद्भुत सम्मिश्रण है। यहाँ की बनावट की सराहना करते हुए इसे 'वास्तुकला का मास्टरपीस' भी कहा जा सकता है:

- **विशाल परिसर और हरित गलियारा:** बसंत कुंज की विस्तृत भूमि पर फैले इस स्थल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यहाँ आने वाले आगंतुकों को मानसिक शांति और राष्ट्रीय गौरव की अनुभूति हो।
- **प्रतिमाओं की जीवंतता:** यहाँ स्थापित महापुरुषों की प्रतिमाएं केवल धातु की मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि उनके चेहरे के हाव-भाव और शिल्प कौशल की बारीकियां वास्तुकला की पराकाष्ठा को दर्शाती हैं।

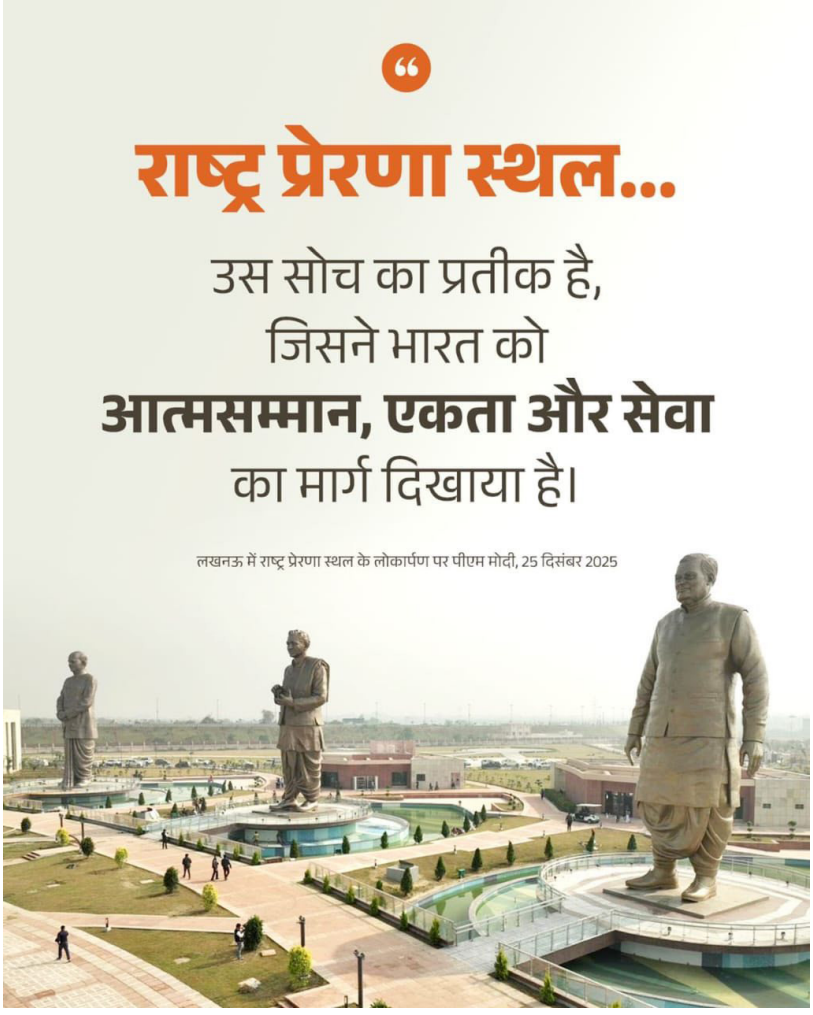

- **प्रकाश और ध्वनि का समन्वय:** परिसर में लाइटिंग की ऐसी व्यवस्था की गई है कि सूर्यास्त के बाद यह स्थल दिव्य आभा से भर जाता है। यहाँ का ऑडिटोरियम और संग्रहालय आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से जोड़ने के लिए अत्याधुनिक डिजिटल तकनीक से लैस है।

सरकार की व्यवस्था: इच्छाशक्ति और समयबद्धता:

- उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल मार्गदर्शन में इस परियोजना का पूर्ण होना राज्य की 'कार्य संस्कृति' का प्रमाण है।
- **अर्बन प्लानिंग का बड़ा काम:** अर्बन प्लानिंग का यह अनोखा अनुभव और उपयोग उन शहरों को मार्गदर्शन देने का काम करेगा, जो कूड़े के पहाड़ से परेशान हैं। दरअसल इस पूरे स्थल पर पहले कूड़े का पहाड़ था जो दूर से बदबू देता था। करीब छह लाख मीट्रिक टन कूड़े का उपचार कर जगह को खाली कराया गया। कूड़े से तैयार मिट्टी और खाद का उपयोग खेतों की भराई में किया गया, जो करीब 4.80

टन था। दरअसल किसानों ने किसान पथ के निर्माण के दौरान खेतों की मिट्टी को मुंह मांगे दामों पर बेच दिया था और उन्हें भराई के लिए मिट्टी चाहिए थी, जिसका उपयोग कूड़े से तैयार मिट्टी से किया गया।

कूड़े से बनी बिजलीः

- राष्ट्र प्रेरणा स्थल के निर्माण से पहले लखनऊ से प्लास्टिक कचरे को लाकर मेरठ साउथ रैपिड स्टेशन के समीप भूड़बराल स्थित ब्रिजेंद्रा एनर्जी एंड रिसर्च कंपनी के प्लांट में बिजली बनाने का किया गया है। इस प्लांट में कूड़े से बिजली बनाने की शुरुआत वर्ष 2020 में हो गई थी। यह एक मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता का गैसीफिकेशन तकनीक का प्लांट है। इसमें कूड़े से निकलने वाले ज्वलनशील कचरे जैसे प्लास्टिक, कपड़ा, कागज का उपयोग किया जाता है।
- **सुरक्षा और सुविधाः** आगंतुकों के लिए सुगम पहुंच, व्यापक पार्किंग और अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा व्यवस्था ने इसे एक प्रमुख पर्यटन और प्रेरणा केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया है।

प्रेरणा स्थल के विचारः भावी पीढ़ी के लिए प्रकाश स्तंभ

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि यह स्थल किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि भारतीयता के गौरवशाली इतिहास का प्रतिबिंब है। 'यह राष्ट्र प्रेरणा स्थल हमारे युवाओं को यह याद दिलाता रहेगा कि भारत के निर्माण में किन महान विभूतियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। यहाँ की मिट्टी से राष्ट्रभक्ति की गूंज उठेगी।' यह स्थल डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे महापुरुषों के विचारों का संवाहक है। यहाँ की शांति और भव्यता आगंतुकों को राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का बोध कराती है।

इसके अलावा राष्ट्र प्रेरणा स्थल परिसर में सिंथेटिक ट्रैक, मेडिटेशन सेंटर, विपश्यना केंद्र, योग केंद्र, हेलीपैड और कैफेटेरिया जैसी सुविधाएं भी विकसित की गई हैं। साथ ही यहां 3,000 की क्षमता वाला एम्फीथिएटर और लगभग 2 लाख लोगों की क्षमता वाला विशाल रैली स्थल भी बनाया गया है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल न केवल ऐतिहासिक स्मृति का केंद्र बनेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों में राष्ट्रीयता और राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार भी करेगा।

श्रमिक अधिकारों का नया युगः नई श्रम संहिताएँ लागू

भारत के श्रम इतिहास में एक लंबी प्रतीक्षा का अंत हो गया है। दिसंबर 2025 तक, केंद्र और लगभग सभी राज्य सरकारों ने चार नई श्रम संहिताओं (स्ंवत ब्वकमे) के नियमों को अधिसूचित (छवजपलि) कर पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित कर बनाई गई ये संहिताएँ न केवल वैश्विक निवेशकों के लिए 'रेड कार्पेट' हैं, बल्कि भारत के 50 करोड़ से अधिक श्रमिकों के लिए 'सुरक्षा कवच' भी हैं।

श्रम संहिताएं व उनमें समाहित कानून

वेतन संहिता, 2019

- वेतन भुगतान एक्ट, 1936;
- न्यूनतम वेतन एक्ट, 1948;
- बोनस भुगतान एक्ट, 1965;
- समान पारिश्रमिक एक्ट, 1976

व्यवसायगत सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य स्थितियां संहिता, 2019

- फैक्ट्रीज एक्ट, 1948;
- खान एक्ट, 1952;
- डॉक श्रमिक (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण) एक्ट, 1986;
- भवन निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार का रेगुलेशन और सेवा शर्तें) एक्ट 1996;
- बागान श्रमिक एक्ट, 1951;
- कॉन्ट्रैक्ट श्रमिक (रेगुलेशन व उन्मूलन) एक्ट, 1970;?
- वर्किंग जर्नलिस्ट और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा शर्तें और विविध प्रावधान) एक्ट, 1955;
- वर्किंग जर्नलिस्ट (वेतन की दरों का निर्धारण) एक्ट, 1958;
- मोटर परिवहन श्रमिक एक्ट, 1961;
- सेल्स प्रमोशन कर्मचारी (सेवा शर्तें) एक्ट, 1976;
- सेल्स प्रमोशन कर्मचारी (सेवा शर्तें) एक्ट, 1976;
- बीड़ी और सिगार वर्कर्स (रोजगार की शर्तें) एक्ट, 1966;
- सिने वर्कर्स और सिनेमा थियेटर वर्कर्स (रोजगार का रेगुलेशन) एक्ट, 1981

औद्योगिक संबंध संहिता, 2019

- ट्रेड यूनियंस एक्ट, 1926;
- कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड्स और विविध प्रावधान एक्ट, 1952;
- औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) एक्ट, 1946, और
- औद्योगिक विवाद एक्ट, 1947

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2019

- कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड्स और विविध प्रावधान एक्ट, 1952;
- कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट, 1948;
- कर्मचारी मुआवजा एक्ट, 1923;
- इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) एक्ट, 1959;
- मातृत्व लाभ एक्ट, 1961;
- ग्रैच्युटी भुगतान एक्ट, 1972;
- सिने वर्कर्स कल्याण कोष एक्ट, 1981;
- भवन निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण सेस एक्ट, 1996;
- असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा एक्ट, 2008

कानूनी ढांचे का सरलीकरण: 29 कानून, 4 संहिताएँ

दशकों पुराने कानूनों की जटिलता को समाप्त कर सरकार ने इन्हें चार श्रेणियों में विभाजित किया है:

वेतन संहिता (Wage Code), 2019: अब 'न्यूनतम वेतन' केवल कुछ उद्योगों तक सीमित नहीं है। भारत के हर श्रमिक (चाहे वह संगठित हो या असंगठित) के लिए न्यूनतम मजदूरी को वैधानिक अधिकार बनाया गया है। इसमें 'फ्लोर वेज' की अवधारणा पेश की गई है, जिससे राज्यों के बीच वेतन विसंगति कम हुई है।

- वेतन संहिता सभी प्रतिष्ठानों और संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों पर लागू होती है।
- यह श्रम संहिता सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान और न्यूनतम वेतन के प्रावधानों और सभी नौकरियों में बोनस भुगतान की एक समान प्रयोज्यता की परिकल्पना करती है, जहाँ कोई उद्योग, व्यवसाय, व्यापार या विनिर्माण किया जाता है।
- यह फ्लोर वेज की अवधारणा पेश करता है, जिसे केंद्र द्वारा श्रमिकों के न्यूनतम जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना है, जो अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अलग-अलग हो सकता है।
- राज्य सरकार किसी भी परिस्थिति में केंद्र द्वारा निर्धारित फ्लोर दर से कम न्यूनतम वेतन दर तय नहीं कर सकती है।
- केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा तय न्यूनतम वेतन फ्लोर वेज से अधिक होना चाहिए। यदि मौजूदा न्यूनतम वेतन फ्लोर वेज से अधिक है, तो केंद्र या राज्य सरकारें न्यूनतम वेतन कम नहीं कर सकती हैं।
- न्यूनतम वेतन तय करते समय, सरकार को काम की कठिनाई के स्तर और श्रमिकों के कौशल स्तर को भी ध्यान में रखना चाहिए।
- यह संहिता समान काम या समान प्रकृति के काम के लिए वेतन और लोगों की भर्ती में लिंग भेदभाव पर रोक लगाती है। समान प्रकृति

के काम को ऐसे काम के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके लिए आवश्यक कौशल, प्रयास, अनुभव और जिम्मेदारी समान हो।

- वेतन में वेतन, भत्ता या कोई अन्य मौद्रिक घटक शामिल है। इसमें बोनस और यात्रा भत्ता शामिल नहीं है।
- काम के घंटे केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा तय किए जाएंगे। ओवरटाइम काम के मामले में, कर्मचारी ओवरटाइम मुआवजे का हकदार है जो मानक वेतन का कम से कम दोगुना होना चाहिए।
- नियोक्ता वेतन अवधि दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक तय कर सकता है।
- सलाहकार बोर्ड गठित किए जाएंगे जो सरकारों को न्यूनतम वेतन तय करने और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर सलाह देंगे।
- यह संहिता नियोक्ता द्वारा संहिता के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन, न्यूनतम वेतन से कम भुगतान करने के लिए किए गए अपराधों के लिए दंड निर्दिष्ट करती है और अधिकतम सजा तीन महीने की कैद के साथ 1 लाख रुपये का जुर्माना है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020: यह सबसे क्रांतिकारी बदलाव है। पहली बार गिग (Gig) और प्लेटफॉर्म वर्कर्स (जैसे जोमैटो, स्विगी, अमेजन के कर्मचारी) को ईएसआई (ESI) और भविष्य निधि (PF) जैसे लाभों के दायरे में लाया गया है।

- कर्मचारियों की परिभाषा को बढ़ाया गया है, जिसमें इंटर-स्टेट प्रवासी मजदूर, कंस्ट्रक्शन मजदूर, फिल्म इंडस्ट्री के मजदूर और प्लेटफॉर्म वर्कर/गिग वर्कर शामिल हैं।
- यह नौ कानूनों को अपने में शामिल करता है और केंद्र सरकार को सभी सेक्टरों के मजदूरों के फायदे के लिए EPF, EPS और ESI जैसी अलग-अलग सोशल सिक्योरिटी योजनाओं को नोटिफाई करने का अधिकार देता है।
- ESIC की सुविधा अब सभी 740 जिलों में दी जाएगी। अभी यह सुविधा सिर्फ 566 जिलों में दी जा रही है।
- यह केंद्र सरकार को सेल्फ-एम्प्लॉयड, असंगठित मजदूरों, गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर और उनके परिवारों के सदस्यों के लिए कोई भी दूसरी योजना बनाने का अधिकार भी देता है।
- EPFO का कवरेज 20 मजदूरों वाले सभी संस्थानों पर लागू होगा। अभी यह सिर्फ शेड्यूल में शामिल संस्थानों पर लागू था।
- इस कोड के तहत 20 से ज्यादा मजदूरों को नौकरी देने वाली फर्मों को खाली पदों की जानकारी ऑनलाइन देना अनिवार्य होगा।
- इस कोड में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाने का प्रावधान है।
- यह कोड असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म मजदूरों के अलग-अलग वर्गों के लिए योजनाओं को बनाने के लिए केंद्र सरकार को सिफारिश करने के लिए एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव करता है।
- फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी का प्रावधान किया गया है और इसके लिए न्यूनतम सर्विस अवधि की कोई शर्त नहीं होगी।
- वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए ग्रेच्युटी की अवधि 5 साल से घटाकर 3 साल कर दी गई है।
- असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए

एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के मकसद से, इन सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन एक ऑनलाइन पोर्टल पर किया जाएगा और यह रजिस्ट्रेशन एक आसान प्रक्रिया के जरिए सेल्फ सर्टिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा।

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020: उद्योगों में विवादों के निपटारे की प्रक्रिया को डिजिटल और समयबद्ध बनाया गया है। अब 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियों को छंटनी के लिए सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन श्रमिकों के लिए 'री-स्किलिंग फंड' (Re-skilling Fund) अनिवार्य कर दिया गया है।

- यह लेबर कोड तीन मौजूदा कानूनों को मिलाता है और कुशल या अकुशल, मैनुअल, तकनीकी, ऑपरेशनल और क्लर्कियल काम करने वाले लोगों को शामिल करने के लिए मजदूर की परिभाषा का विस्तार करता है।
- इसके अलावा, सुपरवाइजरी पद पर काम करने वाले और 18,000 रुपये प्रति माह से कम कमाने वाले लोगों को भी इस परिभाषा के दायरे में लाया गया है।
- यह कोड फिक्स्ड-टर्म रोजगार के लिए एक नया प्रावधान पेश करता है, जिससे मालिकों को लिखित कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर मजदूर को काम पर रखने की छूट मिलती है। फिक्स्ड-टर्म कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान ही लाभ मिलेंगे।
- किसी प्रतिष्ठान के लिए स्थायी आदेश रखने के लिए काम करने वालों की न्यूनतम संख्या बढ़ाकर 300 कर दी गई है। बढ़ी हुई सीमा के साथ, काम पर रखना और निकालना अधिक लचीला और आसान हो जाता है, जिससे सरकार के अनुसार रोजगार

में वृद्धि होगी।

- नया औद्योगिक संबंध कोड 300 तक कर्मचारियों वाली फर्मों को सरकारी अनुमति के बिना छंटनी, कटौती और बंद करने की अनुमति देकर व्यापार करने में आसानी में भी सुधार करेगा।
- नया कोड मालिक के योगदान से, काम से निकाले गए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए एक री-स्किलिंग फंड स्थापित करने का भी प्रस्ताव करता है, जिसमें मालिक द्वारा कर्मचारी के पिछले 15 दिनों के वेतन के बराबर राशि का योगदान दिया जाएगा।
- मजदूरों के विवादों को जल्दी हल करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में प्रवासी मजदूरों की समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन की अनिवार्य सुविधा शामिल है। प्रवासी मजदूरों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। 240 दिनों के बजाय 180 दिनों तक काम करने पर हर 20 दिनों के काम के लिए एक दिन की छुट्टी जमा करने का प्रावधान।
- हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए समानता: महिलाओं को हर क्षेत्र में रात में काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए, लेकिन यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि मालिक द्वारा उनकी सुरक्षा के लिए प्रावधान किया जाए और रात में काम करने से पहले महिलाओं की सहमति ली जाए।
- किसी कर्मचारी की मृत्यु या कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण चोट लगने की स्थिति में, जुर्माने का कम से कम 50% हिस्सा दिया जाएगा। यह राशि कर्मचारी के मुआवजे के

अतिरिक्त होगी।

- 40 करोड़ असंगठित कर्मचारियों के साथ-साथ गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों के लिए ष्सामाजिक सुरक्षा कोषष् का प्रावधान सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज में मदद करेगा।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020: महिलाओं को उनकी सुरक्षा और सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई है। साथ ही, साल में एक बार मुफ्त स्वास्थ्य जांच अनिवार्य की गई है।

- यह 13 मौजूदा लेबर कानूनों को लेबर कोड में मिलाता है और उन फैक्ट्रियों पर लागू होता है (क्योंकि कोड परिभाषा का विस्तार करता है) जिनमें कम से कम 20 मजदूर हैं अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बिजली की मदद से हो रहा है और 40 अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बिना बिजली के हो रहा है।
- इस कोड के तहत, मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि काम करने की जगह ऐसे खतरों से मुक्त हो जिनसे कर्मचारियों को चोट या व्यावसायिक बीमारी हो सकती है और कुछ खास तरह के कर्मचारियों को मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच या टेस्ट मुफ्त में प्रदान करने होंगे।
- यह कोड एक अंतर-राज्य प्रवासी मजदूर को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो अपने आप एक राज्य से आया है और दूसरे राज्य में रोजगार प्राप्त किया है और प्रति माह 18000 रुपये तक कमाता है।
- अंतर-राज्य प्रवासी मजदूरों के लिए पोर्टेबिलिटी लाभः वे गंतव्य राज्य में राशन और भवन और अन्य निर्माण श्रमिक उपकर के लाभों का फायदा उठा सकते हैं।
- यह कोड यात्रा भत्ता का भी प्रस्ताव करता है। यह एकमुश्त किराया राशि है जो मालिक द्वारा मजदूर की उसके मूल राज्य से रोजगार की जगह तक की यात्रा के लिए भुगतान की जाएगी।
- रोजगार में औपचारिकता को प्रोत्साहित करने के लिए, पहली बार मजदूरों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया है।
- सिने मजदूरों को ऑडियो विजुअल मजदूरों के रूप में नामित किया गया है ताकि अधिक से अधिक मजदूर ॅभ् कोड के तहत कवर हो सकें। पहले, यह सुरक्षा केवल फिल्मों में काम करने वाले कलाकारों को दी जा रही थी।
- यह कोड खतरनाक काम करने की स्थितियों पर मैनपावर की सीमा को हटाता है और 50 या अधिक मजदूरों को भर्ती करने वाले ठेकेदारों के लिए कोड का आवेदन अनिवार्य बनाता है (पहले यह 20 था)।
- यह कोड दैनिक काम के घंटे की सीमा को अधिकतम आठ घंटे तय करता है।
- यह कोड महिलाओं को सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में और रात में (शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच) उनकी सहमति और सुरक्षा के अधीन काम करने का अधिकार देता है।

क्यों हो रहा विरोधः

10 प्रमुख यूनियनों ने इन्हें 'मजदूर-विरोधी' बताया। उनका कहना, ये मालिकों को फायदा देंगे, मजदूरों की सुरक्षा छीनेंगे। उनके अनुसार –

- हायर-फायर आसान-300 कर्मचारियों तक की कंपनी बिना अनुमति छंटनी कर सकेगी (पहले 100), नौकरी की सुरक्षा खत्म।
- ठेका प्रथा को खुली छूट – फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट सभी क्षेत्रों में, स्थायी नौकरियां खत्म, लाभ छिनेंगे।
- हड़ताल नामुमकिन – 14 दिन पहले नोटिस जरूरी, 60 दिन में दूसरी हड़ताल; नोटिस न देने पर बर्खास्तगी।
- यूनियन बनाना मुश्किल – मान्यता के लिए 51% सदस्य जरूरी (पहले 10%), सौदेबाजी का अधिकार छिनेगा।
- 12 घंटे शिफ्ट वैध- पहले 8-9 घंटे, अब ओवरटाइम सहित 14-15 घंटे; सेहत को खतरा।
- इंस्पेक्शन सिस्टम कमजोर-रैंडम/ऑनलाइन, मालिक खुद सर्टिफिकेट भरेंगे; दुर्घटनाएं बढ़ेंगी।
- असंगठित मजदूर बाहर – 50 करोड़+ रेहड़ी-पटरी, निर्माण मजदूरों को कोई ठोस लाभ; रजिस्ट्रेशन तंत्र कमजोर।
- राज्यों-यूनियनों की आवाज दबी – केंद्र को अंतिम अधिकार, कंसल्टेशन नाममात्र; कोई वास्तविक चर्चा नहीं।
- मालिकों को मनमानी – नियम खुद बनाने, दंडित करने की स्वतंत्रता; सुरक्षा मानक ढीले।
- बिना चर्चा पास – 2019-20 लॉकडाउन में जल्दबाजी, ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन नहीं, विपक्ष निलंबित।

हालांकि सरकार के अनुसार नवंबर 2025 में लागू हुई ये श्रम संहिताएँ भारत को 'ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब' बनाने की दिशा में सबसे बड़ा सुधार हैं। यह 'श्रमिकों के शोषण' के युग को समाप्त कर 'श्रमिकों के सम्मान' के युग की शुरुआत है। हालांकि इनका लिटमस टेस्ट आने वाले दिनों में होगा जब इन्हे यथर्थता की जमीन पर परखा जायेगा।

वन्दे मातरम के 150 वर्ष

1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के हृदय से निकले दो शब्दों 'वन्दे मातरम्' ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नियति बदल दी थी। 7 नवंबर 2025 को जब हम इस गीत की रचना के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं, यह केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्र की जीवंत आत्मा का प्रतीक बन चुका है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः

'वंदे मातरम' पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में 7 नवंबर 1875 को प्रकाशित हुई थी। बाद में, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे अपने अमर उपन्यास 'आनंदमठ' में शामिल किया, जो 1882 में प्रकाशित हुई।

पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने से पहले, आनंद मठ बंगाली मासिक पत्रिका 'बंगदर्शन' में धारावाहिक के रूप में 1881 में छपा था, जिसके संस्थापक संपादक बंकिम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रवींद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसे संगीतबद्ध कर गाया। 1907 में, मैडम भीकाजी कामा ने पहली बार भारत के बाहर स्टटगार्ट, बर्लिन में तिरंगा झंडा फहराया था। उस झंडे पर वंदे मातरम लिखा हुआ था।

बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में

वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी (1838–1894), 19वीं सदी के बंगाल की सबसे जानी–मानी हस्तियों में से एक थे। 19वीं सदी के दौरान बंगाल के बौद्धिक और साहित्यिक इतिहास में उनकी बहुत महत्वू पूर्ण भूमिका है। एक जाने–माने उपन्यासकार, कवि और निबंध कार के तौर परउनके योगदान ने आधुनिक बंगाली गद्य के विकास और उभरते भारतीय राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। उनके विशेष कार्यों में आनंदमठ (1882), दुर्गेश नंदिनी (1865), कपालकुंडला (1866), और देवी चौधरानी (1884) शामिल हैं, जो अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहे गुलाम समाज की सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक चिंताओं को दिखाते हैं।

वंदे मातरम की रचना को राष्ट्रवादी चिंतन में मील का पत्थरमाना जाता है, जो मातृभूमि के प्रति भक्ति और आध्यात्मिक आदर्शवाद के मेल का प्रतीक है।

स्वतंत्रता संग्राम में अहम रोलः

'वन्दे मातरम्' ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाने में अहम भूमिका निभाई:

- **बंग-भंग आंदोलन (1905):** जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, तब 'वन्दे मातरम्' विरोध का मुख्य नारा बन गया। लोग सड़कों पर उतरकर इस मंत्र का उद्घोष करने लगे।
- **क्रांतिकारियों का पाथेयः** खुदीराम बोस से लेकर भगत सिंह तक, फांसी के फंदे को चूमते समय 'वन्दे

मातरम्' ही क्रांतिकारियों के अंतिम शब्द होते थे।

- **जनजागृति का माध्यम:** अगस्त 1906 में, बिपिन चंद्र पाल के संपादन में 'बंदे मातरम' नाम का एक अंग्रेजी दैनिक शुरू हुआ, जिसमें बाद में श्री अरबिंदो संयुक्त संपादक के रूप में शामिल हुए। अपने तेज और प्रभावशाली संपादकीय लेखों के जरिए, यह अखबार भारत को जगाने का एक सशक्त माध्यम बन गया, जिसने स्वावलंबन, एकता और राजनीतिक चेतना का संदेश पूरे भारत के लोगों तक फैलाया।
- **सांस्कृतिक राष्ट्रवाद:** इस गीत ने 'भारत माता' की अवधारणा को साकार किया। इसने एक भौगोलिक भूखंड को एक 'माता' के रूप में पूजनीय बना दिया, जिससे जुड़ने के लिए हर भारतीय आतुर हो उठा।

विदेश में भारतीय क्रांतिकारियों पर प्रभाव

17 अगस्त 1909 को, जब मदन लाल ढींगरा को इंग्लैंड में फांसी दी गई, तो फांसी पर चढ़ने से पहले उनके आखिरी शब्द थे 'बंदे मातरम।' 1909 में, पेरिस में भारतीय देशभक्तों ने जिनेवा से 'बंदे मातरम' नामक एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। अक्टूबर 1912 में, जब गोपाल कृष्ण गोखले केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, तो उनका स्वागत 'वंदे मातरम' के नारे लगाते लोगों के एक बड़े जुलूस के साथ किया गया।

वर्तमान स्वरूप

स्वतंत्रता के पश्चात, इस गीत के महत्व को देखते हुए संविधान सभा ने इसे विशेष स्थान दिया:

- **24 जनवरी, 1950:** भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि 'वन्दे मातरम्' को 'राष्ट्रीय गीत' का दर्जा दिया जाएगा और इसे 'जन गण मन' के समान सम्मान प्राप्त होगा।
- **150 वर्ष का जश्न:** आज जब देश वंदे मातरम के 150साल पूरे होने का जश्न मना रहा है, तो इस गीत की एकता, विरोध और राष्ट्रीय गौरव की स्थायी विरासत का सम्मान करने की कोशिश में पूरे भारत में यादगार गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं।

वन्दे मातरम, देश की सभ्यतागत, राजनी. तिक और सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न अंग बन चुका है। इस महत्वपूर्ण अवसर को मनाना सभी भारतीयों के लिए एकता, बलिदान और भक्ति के उस शाश्वत संदेश को फिर से दोहराने जैसा है, जो वंदे मातरम में समाहित है।

1 जनवरी 2026 से लागू हो रहे नए नियम

हर साल की तरह इस बार भी नया साल सिर्फ तारीख नहीं बदलेगा, बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई नियमों में भी बड़े बदलाव लेकर आएगा। 1 जनवरी 2026 से बैंकिंग, सैलरी, गैस, डिजिटल पेमेंट, वाहन और सरकारी योजनाओं से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा।

क्रेडिट स्कोर से जुड़े बड़े बदलाव

नए साल से क्रेडिट स्कोर को लेकर नियम और सख्त होंगे। अब आपका क्रेडिट स्कोर महीने में दो बार नहीं, बल्कि हर हफ्ते अपडेट होगा। यानी अगर आपने समय पर लोन या क्रेडिट कार्ड का भुगतान नहीं किया, तो उसका असर तुरंत दिखेगा। वहीं समय पर भुगतान करने वालों को भी फायदा मिलेगा।

LPG, CNG और ईंधन की कीमतों में बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर और फ्यूल की कीमतों की समीक्षा होती है। ऐसे में 1 जनवरी से एलपीजी, CNG और एविएशन फ्यूल (ATF) के दाम बदल सकते हैं, जिसका असर सीधे घरेलू बजट पर पड़ेगा।

आधार – पैन लिंक

अगर आपने अब तक अपना पैन और आधार लिंक नहीं कराया है, तो सावधान हो जाइए। 1 जनवरी 2026 से बिना लिंक वाले पैन पर कई बैंकिंग और सरकारी सेवाएं बंद हो सकती हैं। टैक्स रिफंड, सब्सिडी और निवेश से जुड़ी सुविधाओं पर असर पड़ सकता है।

यूपीआई और डिजिटल पेमेंट

में सख्ती

डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए सरकार और बैंक मिलकर UPI, WhatsApp Pay, PhonePe जैसे प्लेटफॉर्म्स पर नए नियम लागू कर रहे हैं। KYC और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन को और सख्त किया जाएगा, ताकि फर्जी अकाउंट्स पर लगाम लगाई जा सके।

8वें वेतन आयोग की उम्मीद

7वां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 20-35% सैलरी बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही DA मर्जर से न्यूनतम सैलरी बढ़ेगी, लेकिन आधिकारिक नोटिफिकेशन का इंतजार है।

राशन कार्ड ई-केवाईसी

अगर आप 31 दिसंबर तक अपने राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी पूरा नहीं करते हैं, तो 1 जनवरी, 2026 से आपको राशन मिलना बंद हो सकता है. यह एक जरूरी बदलाव है जिसे आपको समय पर लागू करना होगा।

सोशल मीडिया और डिजिटल सुरक्षा पर सख्ती

सरकार नाबालिगों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर नए नियम ला सकती है। सोशल मीडिया पर उम्र सत्यापन और पैरेंटल कंट्रोल जैसे नियम सख्त किए जा सकते हैं।

किसानों के लिए अपडेटेड नियम

PM-Kisan जैसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए कुछ राज्यों में यूनिक किसान ID जरूरी हो सकती है। फसल बीमा योजना में भी बदलाव संभव हैं। जंगली जानवरों से नुकसान की रिपोर्ट समय पर करने पर कवरेज मिलने की व्यवस्था हो सकती है।

लखनऊ एलडीए क्रिकेट स्टेडियम: गलियों से ग्राउंड तक, सपनों को मिल रहा मंच

लखनऊ की गलियों में बल्ला और गेंद थामे खेलने वाले अनगिनत बच्चों के सपने अक्सर सीमित संसाधनों और सही मंच के अभाव में वहीं थम जाते हैं। लेकिन राजधानी के अलीगंज क्षेत्र में स्थित एलडीए क्रिकेट स्टेडियम उन सपनों को आकार देने वाला एक ऐसा मंच बनकर उभरा है, जहाँ गली क्रिकेट की सहज प्रतिभा को संरचित प्रशिक्षण, अनुशासन और अवसर का सहारा मिलता है। यह स्टेडियम न केवल अभ्यास का मैदान है, बल्कि वह सेतु भी है जो शौक को लक्ष्य और खेल को भविष्य में बदलने की क्षमता रखता है।

नन्हे क्रिकेटर्स के सपनों की डगर

लखनऊ के अलीगंज स्थित एलडीए क्रिकेट स्टेडियम आज इस क्षेत्र में न केवल क्रिकेट सीखने और खेलने के लिए सबसे बड़ा और सुव्यवस्थित मैदान उपलब्ध करा रहा है, बल्कि भावी क्रिकेटरों को तराशने के लिए कुशल और अनुभवी प्रशिक्षकों का भी मजबूत ढाँचा खड़ा कर चुका है।

स्टेडियम के हेड कोच गोपाल सिंह के अनुसार, यहाँ क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए प्रतिदिन लगभग 150 बच्चे आते हैं, जिनमें 100 लड़के और 50 लड़कियाँ शामिल हैं। यह आँकड़ा न केवल बढ़ती रुचि को दर्शाता है, बल्कि राजधानी में जमीनी स्तर पर क्रिकेट के मजबूत होते आधार की भी पुष्टि करता है।

खेलो इंडिया और फिट इंडिया की भावना को साकार करते हुए, एलडीए स्टेडियम की प्रशिक्षण फीस निजी क्रिकेट अकादमियों की तुलना में न केवल किफायती रखी गई है, बल्कि लड़कियों को यहाँ पूरी तरह निःशुल्क क्रिकेट प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही, स्टेडियम प्रशासन यह भी सुनिश्चित करता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली बच्चों की राह केवल संसाधनों के अभाव में न रुके। यहाँ कई ऐसे बच्चे प्रशिक्षण ले रहे हैं, जिनके लिए फीस कभी बाधा नहीं बनने दी गई- यही इस स्टेडियम को एक मैदान से बढ़कर संवेदनशील खेल संस्थान बनाता है।

वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रणाली से निखरती प्रतिभाएँ

एलडीए क्रिकेट स्टेडियम में प्रशिक्षण को पूरी तरह वैज्ञानिक और चरणबद्ध प्रणाली के तहत संचालित किया जाता है। खिलाड़ियों को उनकी

उम्र, शारीरिक क्षमता और खेल कौशल के आधार पर अलग-अलग समूहों में बाँटा जाता है, ताकि हर स्तर के खिलाड़ी पर समान और लक्षित ध्यान दिया जा सके। सीनियर खिलाड़ियों को जानबूझकर जूनियर खिलाड़ियों के साथ अभ्यास कराया जाता है, जिससे अनुभव का स्वाभाविक हस्तांतरण हो और युवा खिलाड़ी खेल की बारीकियाँ तेजी से सीख सकें।

यहाँ खिलाड़ियों को फिटनेस ट्रेनिंग से लेकर मैच सिचुएशन अभ्यास, नेट सेशन और आधुनिक बॉलिंग मशीन जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। जिन खिलाड़ियों में तकनीकी या अन्य कमजोरियाँ पाई जाती हैं, उनके लिए अलग से सुधार सत्र आयोजित किए जाते हैं, जहाँ बल्लेबाजी की तकनीक, टाइमिंग, फील्डिंग और खेल समझ पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस समग्र प्रशिक्षण व्यवस्था का परिणाम यह है कि खिलाड़ी न केवल तकनीकी रूप से मजबूत बनते हैं, बल्कि उनमें अनुशासन, आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धी मानसिकता भी विकसित होती है।

आईपीएल व रणजी तक पहुंचा टैलेंटः

अब तक छह रणजी खिलाड़ी व तीन आईपीएल खिलाड़ी तैयार किए हैं। अक्षदीप नाथ, जिशान अंसारी, कार्तिकेय जायसवाल, हिमांशु अरोरा, राहुल सिंह रावत, सूफियान खान ने रणजी मैच में अपनी उपस्थिति दर्ज करायी है। वहीं, कार्तिकेय जायसवाल, जिशान अंसारी और अक्षदीप नाथ ने आइपीएल भी खेल रखा है। इन सभी खिलाड़ियों ने बचपन से इसी एकेडमी में अभ्यास किया।

आज जब प्रतिभा अक्सर संसाधनों की कमी में दब जाती है, ऐसे में एलडीए क्रिकेट स्टेडियम उम्मीद की उस पिच पर खड़ा दिखता है, जहाँ सपनों को दिशा, मेहनत को मंच और प्रतिभा को पहचान मिलती है। यदि यह मॉडल इसी तरह निरंतरता और गुणवत्ता के साथ आगे बढ़ता रहा, तो आने वाले वर्षों में यही मैदान लखनऊ ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश और देश को नए क्रिकेट सितारे देने वाली नर्सरी के रूप में पहचाना जाएगा।

धुरंधुर बदले हुए हीरो की कहानी, बदली हुई एक्शन भाषा

हिंदी सिनेमा के हालिया रिलीज धुरंधर ने दर्शकों को एक बार फिर उस जोन में खींच लिया है, जहाँ एक्शन सिर्फ मुक्कों और गोलियों का खेल नहीं रहता, बल्कि मनोविज्ञान, सत्ता और सिस्टम की टकराहट बन जाता है। मनोरंजन सेक्शन के लिहाज से देखें तो यह फिल्म मास अपील और सीरियस टोन के बीच संतुलन साधने की कोशिश करती दिखती है।

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह धुरंधर की बदौलत बी टाउन के दिग्गज यानी 1000 करोड़ी फिल्म देने वाले कलाकारों की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। दुनियाभर में धुरंधर की धूम देखने को मिल रही है। आदित्य घर की निर्देशित फिल्म की पॉपुलैरिटी का यह आलम है कि इसका सामना हालिया रिलीज और हॉलीवुड फिल्में भी नहीं कर पा रही हैं। किस किसको प्यार करूं 2 जबरदस्त बज के साथ रिलीज हुई, लेकिन धुरंधर के सामने कॉमेडियन कपिल शर्मा का जादू भी नहीं चल पाया।

'धुरंधर' में रहमान डकैत बन छाए अक्षय खन्ना

अक्षय खन्ना फिल्म इंडस्ट्री के वो बेहतरीन एक्टर है, जिन्होंने अपने करियर में हर तरह का रोल किया है और सभी में फिट बैठे हैं। उन्होंने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत हीरो के तौर पर की थी, लेकिन असली पहचान अब जाकर मिल रही है। लोग उनके किरदार और काम की बात करते हैं। एक्टर अक्षय खन्ना को 'धुरंधर' में अपनी परफॉर्मेंस के लिए बहुत तारीफें मिल रही हैं। इस स्पाई थ्रिलर में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं और इसे आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है। थिएटर में फिल्म देखने वाले कई दर्शकों ने सोशल मीडिया पर अक्षय की परफॉर्मेंस पर खास ध्यान खींचा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी क्राइम लॉर्ड और पॉलिटिशियन रहमान डकैत का रोल किया है। वह फिल्म में एक मेन विलेन हैं।

धुरंधर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

रणवीर सिंह की धुरंधर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत से मजबूत पकड़ बना रखी है। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 29 करोड़ का कलेक्शन किया, लेकिन इसके बाद फिल्म ने कई बार बीच-बीच में रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर दी। 20 से ज्यादा दिन पूरे करने के बाद भी इसकी कमाई लगातार डबल संख्या में हो रही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान में फिल्म को बैन कर दिया गया, तो यह वहां सबसे ज्यादा पाइरेसी वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। लोगों ने फिल्म को बड़ी संख्या में डाउनलोड करके देखा।

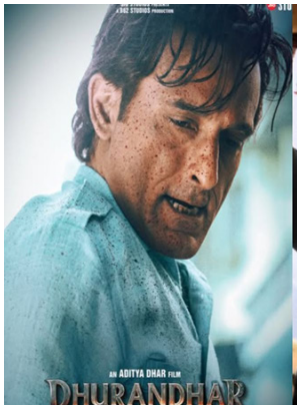

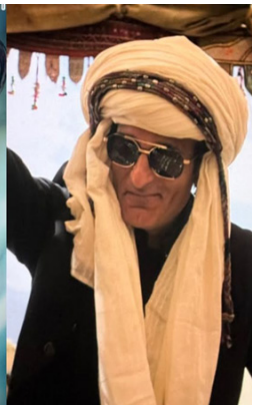

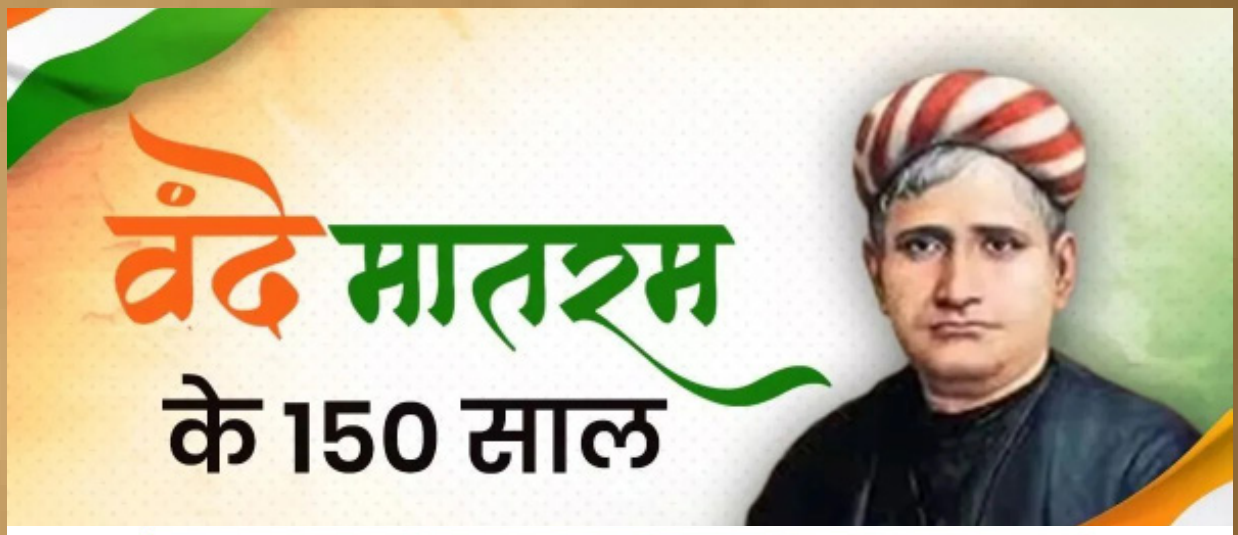

वन्दे मातरम्।

सुजलाम् सुफलाम् मलयजशीतलाम्,
शस्यश्यामलाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।। 1।।

शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीम्,
फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीम्,
सुहासिनीम् सुमधुरभाषिणीम्,
सुखदाम् वरदाम् मातरम्। वन्दे मातरम्।। 2।।

कोटि-कोटि कण्ठ कल-कल निनाद कराले,
कोटि-कोटि भुजैर्धृत खरकरवाले,
के बॉले माँ तुमि अबले,
बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीम्,
रिपुदलवारिणीं मातरम्। वन्दे मातरम्।। 3।।

तुमि विद्या तुमि धर्म, तुमि हृदि तुमि मर्म,
त्वम् हि प्राणाः शरीरे, बाहुते तुमि माँ शक्ति,
हृदये तुमि माँ भक्ति, तोमारेई प्रतिमा गड़ि मन्दिरे-मन्दिरे।
वन्दे मातरम् ।। 4।।

त्वम् हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी,
कमला कमलदलविहारिणी,
वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम्,
नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम्,
सुजलां सुफलां मातरम्। वन्दे मातरम्।। 5।।

श्यामलाम् सरलाम् सुस्मिताम् भूषिताम्,
धरणीम् भरणीम् मातरम्। वन्दे मातरम्।। 6।।

News Drift

Changing News Trend

Online

News Portal

Stay

UPTO DATE

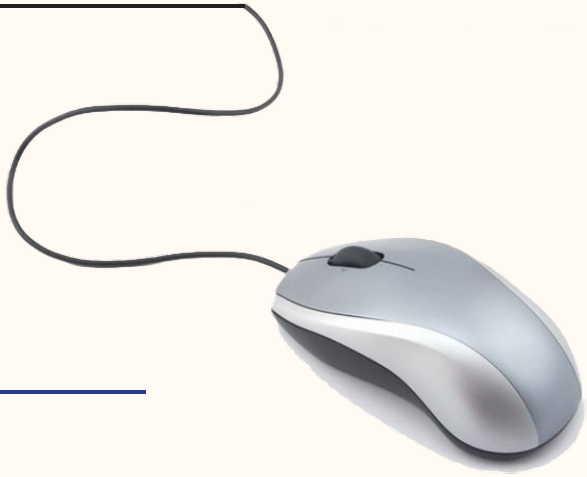

www.newsdrift.in

Email- newsdrift19@gmail.com

Instagram- newsdrift.official